आय-कर

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित **खंड 2** वे दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर आय-कर निर्धारण वर्ष 2012-2013 के लिए कर से प्रभार्य आय पर उद्गृहीत किया जाना है । इसके अतिरिक्त, यह खंड उन दरों को, जिन पर "वेतन" से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2012-2013 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती की जानी है, जो आय-कर अधिनियम के अधीन ऐसी कटौतियों के अधीन रहते हुए हैं ; और उन दरों को भी, जिन पर वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में कर का परिकलन और प्रभारण किया जाना है, अधिकथित करता है ।

निर्धारण वर्ष 2012-2013 के लिए आय-कर की दरें

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 1, आय-कर की वे दरें विनिर्दिष्ट करता है जिन पर आय निर्धारण वर्ष 2012-2013 के लिए कर के दायित्वाधीन है । ये वही दरें हैं, जो वित्त अधिनियम, 2011 की पहली अनुसूची के भाग 3 में, वित्तीय वर्ष 2011-2012 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की गई थी ।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के दौरान "वेतन" से भिन्न आय से स्रोत पर कर की कटौती की दरें

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 2, वे दरें विनिर्दिष्ट करता है, जिन पर, "वेतन" से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2012-2013 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती की जानी है । वित्तीय वर्ष 2011-2012 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए दरें वही हैं, जो वित्त अधिनियम, 2011 की पहली अनुसूची के भाग 2 में, विनिर्दिष्ट हैं । नई धारा 194ठग के प्रस्तावित अंतःस्थापन की दृष्टि से, अवसंरचना विकास के विहित कारबार में लगी किसी विनिर्दिष्ट भारतीय कंपनी द्वारा किसी अनिवासी को ब्याज के रूप में कतिपय संदायों की दशा में, पांच प्रतिशत की दर से कर की कटौती की विशेष दर विहित करने पर, ऐसी आय बीस प्रतिशत की दर से, जो अन्यथा लागू होती, स्रोत पर कटौती करने के अधीन नहीं होगी ।

इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम में, देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, दो प्रतिशत की दर से, अधिभार बढ़ा दिया जाएगा । किसी अन्य दशा में, कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा ।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 3, वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए वे दरें, जिन पर "वेतन" से शीर्ष के अधीन आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और वे दरें भी, जिन पर "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में आय-कर परिकलित या प्रभारित किया जाना है, विनिर्दिष्ट करता है । व्यष्टिक करदाता, जो भारत में निवासी स्त्री है और साठ वर्ष से कम आयु की है, के विशेष प्रवर्ग को हटाने का प्रस्ताव है ।

इस भाग का पैरा क आय-कर की निम्नलिखित दरें विनिर्दिष्ट करता है :—

(i) प्रत्येक व्यष्टि [उपपैरा (ii) और उपपैरा (iii) में विशेष रूप से विनिर्दिष्ट से भिन्न] या हिंदू अविभक्त कुटुंब या प्रत्येक व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है :—

2,00,000 रुपए तक	**कुछ नहीं** ।
2,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत ।
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत ।
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक आयु का, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,—

2,50,000 रुपए तक	**कुछ नहीं** ।
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत ।
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत ।
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष की या अधिक आयु का है,—

5,00,000 रुपए तक	**कुछ नहीं** ।
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत ।
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

इस भाग का पैरा ख प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है । ऐसी दशाओं में, आय-कर की दरें वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2012-2013 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं । कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा ।

इस भाग का पैरा ग प्रत्येक फर्म की दशा में आय-कर की दर विनिर्दिष्ट करता है । ऐसी दशाओं में, आय-कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2012-2013 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है । कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा ।

इस भाग का पैरा घ प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में आय-कर की दर विनिर्दिष्ट करता है । ऐसी दशाओं में, कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2012 -2013 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है । कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा ।

इस भाग का पैरा ङ कंपनियों की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है । देशी कंपनियों और देशी कंपनियों से भिन्न कंपनी, दोनों की दशाओं में, कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2012-2013 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है ।

ऐसी देशी कंपनियों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिभार पांच प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाता रहेगा । देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की दशा में, अधिभार दो प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाता रहेगा । मार्जिन राहत प्रदान की जाएगी ।

सभी अन्य मामलों (धारा 115ञख, धारा 115ण, धारा 115द, आदि सहित) में, अधिभार पांच प्रतिशत की दर से बना रहेगा ।

पहली अनुसूची के भाग 3 के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों में दो प्रतिशत की दर से "शिक्षा उपकर" और एक प्रतिशत की दर से "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" उद्गृहीत किया जाता रहेगा । पहली अनुसूची के भाग 2 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, देशी कंपनी और ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा

में, जो भारत में निवासी है, स्रोत से कटौती किए गए या संगृहीत कर पर कोई शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर का उद्ग्रहण नहीं किया जाएगा । दोनों उपकर, वेतन भुगतानों की दशा में स्रोत पर कटौती किए गए कर के संबंध में लागू रहेंगे । ये भारत में अनिवासी व्यक्तियों और देशी कंपनी से भिन्न कंपनियों के मामले में भी उद्ग्रहीत किए जाते रहेंगे ।

विधेयक का **खंड 3** आय-कर अधिनियम की धारा 2 का, जो परिभाषाओं के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 2 के खंड (14) में एक नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे ''संपत्ति'' पद को बाबत स्पष्ट किया जा सके ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1962 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1962-1963 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

पूर्वोक्त धारा 2 के खंड (16) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है, जिससे आय-कर निदेशक को आयुक्त की परिभाषा में सम्मिलित किया जा सके ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1988 से प्रभावी होगा ।

पूर्वोक्त धारा 2 के खंड (19कक) के उपखंड (iv) का संशोधन करने का प्रस्ताव भी है, जिससे निर्विलीन कंपनी के शेयर धारकों को शेयर पुरोधृत किए जाने की अपेक्षा को उस दशा में अपवर्जित किया जा सके, जहां परिणामी कंपनी निर्विलयन की स्कीम में स्वयं निर्विलीन कंपनी की शेयर धारक है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (47) में एक नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे ''अंतरण'' पद को स्पष्ट किया जा सके ।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1962 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1962-1963 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 4** आय-कर अधिनियम की धारा 9 का, जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी गई आय के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि भारत में किसी कारबारी संपर्क द्वारा या उससे, या भारत में किसी संपत्ति द्वारा या उससे या भारत में किसी आस्ति या आय के स्रोत के या उससे या भारत में स्थित पूंजी आस्ति के अंतरण द्वारा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी आय भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई आय समझी जाएगी ।

पूर्वोक्त खंड में एक नया स्पष्टीकरण 4 अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त उपधारा में प्रयुक्त ''द्वारा'' पद को स्पष्ट किया जा सके ।

पूर्वोक्त खंड में एक नया स्पष्टीरण 5 अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या आस्तित्व में कोई आस्ति या कोई पूंजी आस्ति जो कोई शेयर या ब्याज हो, को भारत में स्थित समझा जाएगा और सदैव स्थित हुआ समझा जाएगा, यदि शेयर या ब्याज अपना मूल्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, भारत में अवस्थित आस्तियों से पर्याप्त रूप से व्युत्पन्न करता है।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1962 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1962-1963 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

पूर्वोक्त उपधारा के खंड (vi) में नया स्पष्टीकरण 4 अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि किसी अधिकार, संपत्ति या जानकारी की बाबत सभी या किन्हीं अधिकारों के अंतरण के अंतर्गत उपयोग संबंधी सभी या किन्हीं अधिकारों या कम्प्यूटर साफ्टवेयर के उपयोग का (जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना भी है) अधिकार का अंतरण, उस माध्यम को विचार में लिए बिना जिसके माध्यम से ऐसा अधिकार अंतरित किया जाता है, सम्मिलित है और सदैव से सम्मिलित है ।

पूर्वोक्त खंड में एक नया स्पष्टीकरण 5 अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि स्वामिस्व के अंतर्गत किसी अधिकार, संपत्ति या सूचना की बाबत प्रतिफल सम्मिलित है और सदैव सम्मिलित हैं, चाहे— (क) ऐसे अधिकार, संपत्ति या सूचना का कब्जा या नियंत्रण संदायकर्ता के पास हो या नहीं; (ख) ऐसा अधिकार, संपत्ति या सूचना का प्रयोग सीधे संदायकर्ता द्वारा किया जाता या नहीं; (ग) ऐसे अधिकार, संपत्ति या सूचना का अवस्थान भारत में हो या नहीं ।

पूर्वोक्त खंड में एक नया स्पष्टीकरण 6 अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि "प्रक्रिया" पद के अंतर्गत सेटेलाइट (जिसके अंतर्गत किसी सिग्नल की डाउनलिंकिंग के लिए अप-लिंकिंग, प्रवर्धन, संपरिवर्तन भी हैं), केबल आप्टिक फाइबर द्वारा या किसी वैसी ही प्रौद्योगिकी द्वारा, पारेषण सम्मिलित है और सदैव सम्मिलित समझा जाएगा, चाहे ऐसी प्रक्रिया गोपनीय हो या नहीं ।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 1976 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 1977-1978 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 5** आय-कर अधिनियम की धारा 10 का, जो आय, जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है, के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (10घ) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त कोई राशि, जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित राशि भी है, जो धारा 80घघक की उपधारा (3) के अधीन प्राप्त किसी राशि या किसी प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त किसी राशि से भिन्न है या किसी बीमा पालिसी, जिसके लिए प्रीमियम, वास्तविक बीमा पूंजी राशि के बीस प्रतिशत से अधिक है, छूट प्राप्त होगी ।

यह प्रस्ताव है कि 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् जारी की गई किसी बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त किसी राशि को केवल तभी छूट अनुज्ञात की जाएगी, यदि पालिसी के लिए वास्तविक बीमा पूंजी राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (23ग) के सोलहवें परंतुक के पश्चात् एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था की आय को पूर्ववर्ष की उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा, यदि धारा 2 के खंड (15) के पहले परंतुक के उपबंध ऐसे न्यास या संस्था को उक्त पूर्ववर्ष में लागू होते हैं, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे न्यास या संस्था की बाबत दिया गया अनुमोदन या जारी की जा चुकी अधिसूचना को वापस ले लिया गया है या विखंडित कर दिया गया है या नहीं ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (23चख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में विनिधान से किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की कोई आय उसकी कुल आय का भाग नहीं होगी । ''जोखिम पूंजी कंपनी'', ''जोखिम पूंजी निधि'' और ''जोखिम पूंजी उपक्रम'' की परिभाषाएं खंड (23चख) के स्पष्टीकरण 1 में दी गई हैं । ''जोखिम पूंजी

उपक्रम'' को उक्त स्पष्टीकरण के खंड (ग) में परिभाषित किया गया है, जिससे ऐसी देशी कंपनी अभिप्रेत है, जिसके शेयर भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो उक्त खंड (ग) में विनिर्दिष्ट कारबारों या उद्योगों में लगी हुई हैं ।

पूर्वोक्त खंड के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे जोखिम पूंजी उपक्रम को ऐसे जोखिम पूंजी उपक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सके, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाया गया कोई जोखिम पूंजी उपक्रम है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में लागू होगा ।

पूर्वोक्त धारा में एक नया खंड (48) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि भारत में किसी व्यक्ति को कच्चे तेल के विक्रय मद्दे भारतीय करेंसी में प्राप्त किसी विदेशी कंपनी की आय को भी, उक्त खंड में विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए, कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2012-2013 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 6** आय-कर अधिनियम की धारा 13 का, जो कतिपय दशाओं में धारा 11 के लागू न होने के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 13 में एक नई उपधारा (8) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 11 या धारा 12 में अंतर्विष्ट किसी बात का इस प्रकार से प्रभाव नहीं होगा जिससे ऐसे व्यक्ति की पूर्ववर्ष की कुल आय में से ऐसी कोई आय, जो उसने प्राप्त की है, अपवर्जित हो जाए, यदि धारा 2 के खंड (15) का पहला परंतुक उक्त पूर्ववर्ष में उस व्यक्ति के मामले में लागू होता है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 7** आय-कर अधिनियम की धारा 32 का, जो अवक्षयण के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगे हुए किसी निर्धारिती द्वारा 31 मार्च, 2005 के पश्चात् अर्जित और संस्थापित नई मशीनरी या संयंत्र (पोत और वायुयान से भिन्न) की वास्तविक लागत के बीस प्रतिशत के बराबर और राशि को और अवक्षयण के तौर पर कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाता है ।

पूर्वोक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे 31 मार्च, 2012 के पश्चात् अर्जित और संस्थापित किसी नई मशीनरी या संयंत्र (पोत और वायुयान से भिन्न) की वास्तविक लागत के बीस प्रतिशत के बराबर और राशि की विद्युत के उत्पादन या विद्युत के उत्पादन और वितरण के कारबार में लगे हुए किसी निर्धारिती को और अवक्षयण के रूप में कटौती अनुज्ञात की जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 8** आय-कर अधिनियम की धारा 35 का, जो वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 35 की उपधारा (2कख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि जहां कोई कंपनी, जो जैव प्रौद्योगिकी के कारबार में लगी हुई है या जो किसी ऐसी वस्तु या चीज के, जो ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट वस्तु या चीज नहीं है, विनिर्माण या उत्पादन के किसी कारबार में लगी हुई है, वैज्ञानिक अनुसंधान पर अथवा आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा पर कोई व्यय उपगत करती है (जो किसी भूमि या भवन की लागत के प्रकार का व्यय न हो) वहां इस प्रकार उपगत व्यय के दो गुना के बराबर राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी । तथापि, उक्त उपधारा के अधीन 31 मार्च, 2012 के पश्चात् उपगत ऐसे व्यय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं है ।

पूर्वोक्त उपधारा (2कख) के खंड (5) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे 31 मार्च, 2017 तक उपगत व्यय की बाबत कटौती अनुज्ञात की जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में निर्धारण वर्ष 2017-2018 तक लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 9** आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ का, जो विनिर्दिष्ट कारबार पर व्यय की बाबत कटौती के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 35कघ की उपधारा (1) के उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, उस धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट कारबार द्वारा वर्ष के दौरान, किसी भूमि के अर्जन या गुडविल या वित्तीय लिखत के संबंध में उपगत व्यय से भिन्न, उपगत किए गए किसी पूंजी व्यय की बाबत शत प्रतिशत कटौती अनुज्ञात करते हैं ।

विनिर्दिष्ट कारबार उक्त कटौती के लिए पात्र उपधारा (8) के खंड (ग) के अधीन सूचीबद्ध किया गया है।

पूर्वोक्त धारा में उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां विनिर्दिष्ट कारबार उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (v) या उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रकृति का है और उसने 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् अपने प्रचालन आरंभ किए हैं, वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती उसमें निर्दिष्ट व्यय के डेढ़ गुना के बराबर रकम के लिए अनुज्ञात की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (5) और उपधारा (8) के उपबंधों का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे उसमें कारबार के तीन नए प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट कारबार के रूप में सम्मिलित किया जा सके, अर्थात्:— (i) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचित या अनुमोदित अंतर्देशीय आधान डिपो या आधान भाड़ा स्टेशन की स्थापना और प्रचालन; (ii) मधुमक्खी पालन और शहद तथा मधु मोम का उत्पादन; (iii) चीनी के भंडारण के लिए भांडागार सुविधा की स्थापना और प्रचालन। यह भी प्रस्तावित है कि इन तीन विनिर्दिष्ट कारबारों के प्रचालन के प्रारंभ की तारीख पूर्वोक्त कटौती के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् की होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

पूर्वोक्त धारा में उपधारा (6क) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारिती केंद्रीय सरकार द्वारा यथा वर्गीकृत दो-सितारा या उच्च प्रवर्ग के किसी होटल का निर्माण करता है और बाद में, होटल का स्वामी रहते हुए, उसका प्रचालन किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर देता है, वहां निर्धारिती को होटल निर्माण और प्रचालन का विनिर्दिष्ट कारबार करने वाला समझा जाएगा ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 10 आय-कर अधिनियम में नई धारा 35गगग और धारा 35गगघ, जो क्रमशः कृषि विस्तार परियोजना संबंधी व्यय और कौशल विकास परियोजना संबंधी व्यय के संबंध में हैं, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा 35गगग की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि जहां कोई निर्धारिती, बोर्ड द्वारा, उन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना संबंधी कोई व्यय उपगत करता है, वहां ऐसे व्यय के डेढ़ गुना के बराबर राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी । पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यय की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा किया जाता है और उसे अनुज्ञात किया जाता है वहां उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उस व्यय की बाबत कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

प्रस्तावित नई धारा 35गगघ की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि जहां कोई कंपनी, बोर्ड द्वारा, उन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अधिसूचित किसी कौशल विकास परियोजना संबंधी कोई व्यय (जो किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति का व्यय नहीं है) उपगत करती है, वहां ऐसे व्यय के डेढ़ गुना के बराबर राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी । पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यय की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा किया जाता है और उसे अनुज्ञात किया जाता है वहां उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उस व्यय की बाबत कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 11 आय-कर अधिनियम की धारा 40 का, जो कटौती न करने योग्य रकमों के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (ic) में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारिती किसी ऐसी राशि पर अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है और धारा 201 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाता है, वहां इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि निर्धारित ने उक्त परंतुक में निर्दिष्ट निवासी आदाता द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को उस राशि पर कर की कटौती और उसका संदाय कर दिया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 12** आय-कर अधिनियम की धारा 40क का, जो व्यय का संदाय, जो कतिपय दशाओं में कटौती योग्य नहीं है, के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 40क की उपधारा (2) के खंड (क) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां निर्धारिती कोई ऐसा व्यय उपगत करता है जिसकी बाबत इस उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को संदाय किया गया है या किया जाना है और निर्धारण अधिकारी की यह राय है कि ऐसा व्यय उस माल, उन सेवाओं या सुविधाओं के, जिनके लिए संदाय किया गया है, उचित बाजार मूल्य को या निर्धारिती के कारबार या वृत्ति की वास्तविक आवश्यकताओं को या उसे उसके द्वारा व्युत्पन्न या उसको प्रोद्भूत होने वाले फायदे को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक या अयुक्तियुक्त है, वहां उतना व्यय, जितना वह इस प्रकार अत्यधिक या अयुक्तियुक्त समझे, कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

पूर्वोक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस खंड के अधीन धारा 92खक में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में उचित बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर किसी व्यय के आधिक्य में या अयुक्तियुक्त होने मद्दे कोई मोक नामंजूर नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा संव्यवहार धारा 92च के खंड (ii) में यथापरिभाषित असन्निकट कीमत है ।

पूर्वोक्त उपधारा के खंड (ख) के विद्यमान उपबंधों में, खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को परिभाषित किया गया है । उक्त खंड के उपखंड (iv) में व्यक्तियों को, ऐसी कंपनी, फर्म, व्यक्ति-संगम या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका निर्धारिती के कारबार या वृत्ति में पर्याप्त हित है अथवा ऐसी कंपनी, फर्म, संगम या कुटुंब के किसी निदेशक, भागीदार या सदस्य अथवा ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य के किसी नातेदार के रूप में परिभाषित किया गया है ।

पूर्वोक्त खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसमें कारबार या वृत्ति करने वाली ऐसी किसी अन्य कंपनी को सम्मिलित किया जा सके जिसमें पूर्वोक्त उपखंड में निर्दिष्ट कंपनी का पर्याप्त हित है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 13** आय-कर अधिनियम की धारा 44कख का, जो वृत्ति या कारबार चलाने वाले कतिपय व्यक्तियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 44कख के खंड (क) के विद्यमान उपबंध कारबार चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के अपने लेखाओं की विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व किसी लेखापाल से लेखापरीक्षा कराने को बाध्यकर बनाते हैं, यदि पूर्ववर्ष के लिए कारबार के कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां साठ लाख रुपए से अधिक हैं ।

उक्त सीमा को साठ लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (ख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध वृत्ति चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के अपने लेखाओं की विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व किसी लेखापाल से लेखापरीक्षा कराने को बाध्यकर बनाते हैं, यदि पूर्ववर्ष के लिए वृत्ति की उसकी सकल प्राप्तियां पन्द्रह लाख रुपए से अधिक हैं ।

उक्त सीमा को पन्द्रह लाख रुपए से बढ़ाकर पच्चीस लाख रुपए करने का प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

पूर्वोक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह परिभाषित करते हैं कि किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के निर्धारिती के लेखाओं के संबंध में "विनिर्दिष्ट तारीख" पद से निर्धारण वर्ष की 30 सितंबर अभिप्रेत है ।

विनिर्दिष्ट तारीख को निर्धारण वर्ष की 30 सितंबर से परिवर्तित करके धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-2013 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 14** आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ का, जो उपधारणा के आधार पर कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 44कघ में एक नई उपधारा (6) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबंध—(i) धारा 44कक की उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट किसी वृत्ति को करने वाले किसी व्यक्ति ; (ii) कमीशन या दलाली की प्रकृति की आय अर्जित करने वाले किसी व्यक्ति ; या (iii) किसी अभिकरण कारबार को करने वाले किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

पूर्वोक्त धारा 44कघ के स्पष्टीकरण के विद्यमान खंड (ख) में "पात्र कारबार" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि "पात्र कारबार" से धारा 44कङ में निर्दिष्ट माल वाहनों को चलाने, भाड़े पर या पट्टे पर देने के कारबार के सिवाय कोई कारबार अभिप्रेत है ; और उपधारणा के आधार पर कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना के प्रयोजन के लिए जिसका कुल आवर्त या पूर्ववर्ष में सकल प्राप्तियां साठ लाख रुपए की रकम से अधिक नहीं हैं ।

पूर्वोक्त स्पष्टीकरण का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उक्त सीमा को साठ लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 15** आय-कर अधिनियम की धारा 47 का, जो अंतरण न समझे जाने वाले संव्यवहारों के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 47 के खंड (vii) के उपखंड (क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि विलयन की दशा में, किसी शेयर धारक द्वारा समामेलन कंपनी में धारित पूंजी आस्ति का, जो शेयर हों, कोई अंतरण उस दशा में अंतरण नहीं माना जाएगा । यदि (क) ऐसा अंतरण समामेलित कंपनी किसी शेयर या किन्हीं शेयरों के उसका आबंटन के प्रतिफलस्वरूप किया गया है और (ख) समामेलित कंपनी में भारतीय कंपनी है ।

पूर्वोक्त उपखंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस सीमा तक, जहां समामेलित कंपनी स्वयं समामेलक कंपनी में शेयर धारक है, उसके लिए शेयर या शेयरों को पुरोधृत करना आवश्यक नहीं होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 16** आय-कर अधिनियम की धारा 49 का, जो आय, जो अर्जन के कतिपय ढंगों के प्रतिनिर्देश से लागत के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 49 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि कतिपय परिस्थितियों में आस्तियों के अर्जन की लागत वह लागत समझी जाएगी, जिसके लिए आस्तियों के पूर्वतम स्वामी ने उसे अर्जित किया था ।

धारा 47 का खंड (xiii) अन्य बातों के साथ-साथ, किसी फर्म द्वारा किसी कंपनी को किसी पूंजी आस्ति या अमूर्त आस्ति का, कंपनी द्वारा फर्म के उत्तराधिकार के परिणामस्वरूप, अंतरण करने का उपबंध करता है और धारा 47 का खंड (xiv) अन्य बातों के साथ-साथ, किसी पूंजी आस्ति या अमूर्त आस्ति का किसी एकल साम्पत्तिक समुत्थान द्वारा उत्तराधिकार के परिणाम-स्वरूप किसी एकल साम्पत्तिक समुत्थान द्वारा कंपनी को अंतरण करने का उपबंध करता है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iii) के उपखंड (ङ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 47 के खंड (xiii) और खंड (xiv) में निर्दिष्ट अंतरणों को धारा 49 की परिधि में लाया जा सके, जो अर्जन के कतिपय ढंगों के प्रतिनिर्देश से लागत के संबंध में हैं ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1999 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1999-2000 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 17** आय-कर अधिनियम में नई धारा 50घ, जो उचित बाजार मूल्य को कतिपय मामलों में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझे जाने के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंध पूंजी आस्ति के अंतरण पर पूंजी अभिलाभों को कतिपय मामलों में विक्रय प्रतिफल और अर्जन की लागत के बीच के अंतर के रूप में परिकलित करने का उपबंध करते है ।

एक नई धारा 50घ अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी निर्धारिती द्वारा किसी पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत प्रतिफल को अधिनियम के उपबंधों के अधीन अभिनिश्चित या अवधारित नहीं किया जा सकता है, वहां पूंजी अभिलाभों के रूप में कर से प्रभार्य आय की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उक्त आस्ति के उचित बाजार मूल्य को अंतरण की तारीख को ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 18** आय-कर अधिनियम की धारा 54ख का, जो कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के अंतरण से होने वाले पूंजी अभिलाभ का कतिपय दशाओं में प्रभारित न किए जाने के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 54ख की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि यदि कोई निर्धारिती, उस भूमि का, जिसका उस तारीख के जिसको अंतरण होता है, निर्धारिती या उसके माता-पिता द्वारा उपयोग किया जा रहा था, ठीक पूर्व के दो वर्षों में कृषि प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए भूमि का अंतरण करता है जिससे पूंजी अभिलाभ उद्भूत होता है और ऐसे अंतरण की तारीख के पश्चात् दो वर्ष के भीतर कृषि प्रयोजनों के लिए कोई अन्य भूमि क्रय करता है, तो पूंजी अभिलाभ उस सीमा तक छूट प्राप्त होगा जहां तक उस अभिलाभ का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग किया गया है ।

पूर्वोक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे छूट संबंधी फायदे को ऐसे निर्धारिती को, जो हिन्दू अविभक्त कुटुंब है विस्तारित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 19** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 54छख, जो आवासिक संपत्ति के विक्रय पर पूंजी अभिलाभ का कतिपय दशाओं में प्रभारित न किया जाने के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा 54छख यह उपबंध करने के लिए है कि जहां पूंजी अभिलाभ पात्र निर्धारिती के (जिसे इसमें निर्धारिती कहा गया है) स्वामित्वाधीन किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो कोई आवासिक संपत्ति (कोई गृह या कोई भूखंड) है, अंतरण से उद्भूत होता है और ऐसे निर्धारिती ने धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पूर्व किसी पात्र कंपनी के (जिसे इसमें कंपनी कहा गया है) साधारण शेयरों में अभिदाय के लिए शुद्ध प्रतिफल का उपयोग किया है और उस कंपनी ने, निर्धारिती के साधारण शेयरों में अभिदाय की तारीख से एक वर्ष के भीतर इस रकम का उपयोग नई आस्ति के क्रय के लिए किया है, वहां पूंजी अभिलाभ को

उस पूर्ववर्ष की, जिसमें अंतरण किया जाता है, आय के रूप में आय-कर से प्रभारित करने के बजाय उसके संबंध में कार्यवाही इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार की जाएगी, यदि शुद्ध प्रतिफल की रकम नई आस्ति की लागत से अधिक है तो पूंजी अभिलाभ का उतना भाग जिसका संपूर्ण पूंजी अभिलाभ से वही अनुपात है जो नई आस्ति का शुद्ध प्रतिफल से है, पूर्ववर्ष की आय के रूप में धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा या यदि शुद्ध प्रतिफल की रकम आस्ति की लागत के बराबर या उससे कम है तो पूंजी अभिलाभ को पूर्ववर्ष की आय के रूप में धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि शुद्ध प्रतिफल की रकम, जिसे निर्धारिती को शेयर के पूरोधरण के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया है, उस सीमा तक जिस तक धारा 139 के अधीन निर्धारिती द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पूर्व नई आस्ति के क्रय के लिए उपयोग नहीं किया गया है, निर्धारिती द्वारा आय की विवरणी देने की नियत तारीख से पूर्व, कंपनी द्वारा ऐसे किसी बैंक या संस्था में, विनिर्दिष्ट की जाए, किसी खाते में जमा की जाएगी और ऐसी किसी स्कीम के अनुसार उपयोग की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विरचित करे और निर्धारिती द्वारा फाइल की गई ऐसी विवरणी के साथ ऐसे जमा किए जाने का सबूत होगा ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए नई आस्ति के क्रय के संबंध में कंपनी द्वारा पहले से उपयोग की गई रकम को, यदि कोई हो, उपधारा (2) के अधीन जमा की गई रकम के साथ नई आस्ति की लागत के रूप में समझा जाएगा । तथापि, यदि इस उपधारा के अधीन जमा की गई रकम का पूर्णतः या भागतः उपयोग उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नए संयंत्र और मशीनरी के क्रय के लिए नहीं किया जाता है तो वह रकम, जिससे आवासिक संपत्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ की रकम नई आस्ति की लागत के आधार पर धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं की गई है, उस रकम से अधिक है इस प्रकार प्रभारित नहीं की गई होती यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट निर्धारिती द्वारा वस्तुतः उपयोग की गई रकम नई आस्ति की लागत होती, उस पूर्ववर्ष की, जिसमें निर्धारिती के साधारण शेयरों में अभिदाय की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है, निर्धारिती की आय के रूप में धारा 45 के अधीन प्रभारित होगी और कंपनी स्कीम के अनुसार उस रकम को वापस लेने का हकदार होगा ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यदि कंपनी के साधारण शेयरों या कंपनी द्वारा अर्जित की गई नई आस्ति को उनके अर्जन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर विक्रीत या अन्यथा अंतरित किया जाता है तो उपधारा (1) में यथाउपबंधित धारा 45 के अधीन प्रभारित न की गई आवासिक संपत्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ की रकम, यथास्थिति, निर्धारिती या कंपनी के हाथ में शेयरों या नई आस्ति के अंतरण के संबंध में उद्भूत होने वाले अभिलाभों की कराधेयता के अतिरिक्त, ''पूंजी अभिलाभ'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य निर्धारिती की उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसे साधारण शेयरों या ऐसे संयंत्र या मशीनरी को विक्रीत या अन्यथा अंतरित किया जाता है, आय समझी जाएगी ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि इस धारा के उपबंध 31 मार्च, 2017 के पश्चात् किए गए आवासिक संपत्ति के किसी अंतरण को लागू नहीं होंगे ।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''पात्र निर्धारिती'', ''पात्र कंपनी'', ''शुद्ध प्रतिफल'' और ''नई आस्ति'' पदों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 20** आय-कर अधिनियम की धारा 55क का, जो मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 55क के खंड (क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि निर्धारण अधिकारी पूंजी आस्ति का उचित बाजार मूल्य अभिनिश्चित करने की दृष्टि से पूंजी आस्ति के मूल्यांकन के प्रति मूल्यांकन अधिकारी को उस दशा में निर्देश कर सकेगा, जहां उसकी यह राय है कि निर्धारिती द्वारा इस प्रकार दावा किया गया आस्ति का मूल्य उसके उचित बाजार मूल्य से कम है ।

पूर्वोक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि केवल तब निर्देश करने के बजाय जब ऐसा मूल्य बाजार मूल्य से कम है उचित बाजार मूल्य से कम है पूंजी आस्ति का उचित बाजार मूल्य अभिनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को उस दशा में निर्देश किया जा सकेगा, यदि ऐसा मूल्य उसके उचित बाजार मूल्य से कम हो ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 21** आय-कर अधिनियम की धारा 56 का, जो अन्य स्रोतो से आय के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vii) के विद्यमान उपबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित है कि जहां कोई धनराशि, जिसका कुल मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, 1 अक्तूबर, 2009 को या उसके पश्चात् किसी व्यक्ति से किसी पूर्ववर्ष में किसी व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब द्वारा प्रतिफल के बिना प्राप्त की जाती है, वहां ऐसी धनराशि का संपूर्ण कुल मूल्य ''अन्य स्रोतों से आय'' शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगा । उक्त खंड के दूसरे परंतुक में यह उपबंध है कि इस खंड के उपबंध किसी नातेदार से प्राप्त किसी धनराशि या किसी संपत्ति को लागू नहीं होंगे । उक्त खंड के दूसरे परंतुक के स्पष्टीकरण के खंड (ङ) में यह उपबंध है कि ''नातेदार'' की परिभाषा का वही अर्थ होगा, जो उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण में उसका है ।

पूर्वोक्त खंड (ङ) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ''नातेदार'' की परिभाषा के अंतर्गत किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब द्वारा, उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट व्यष्टियों के अलावा, उसके सदस्यों से प्राप्त कोई राशि या संपत्ति भी आएगी ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी होगा।

पूर्वोक्त उपधारा में एक नया खंड (viiख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता सारतः हितबद्ध है, किसी पूर्ववर्ष में, ऐसे किसी व्यक्ति से, जो निवासी है, शेयरों के पुरोधरण के लिए कोई प्रतिफल प्राप्त करती है, जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य के आधिक्य में है, वहां ऐसे शेयरों के लिए प्राप्त कुल प्रतिफल, जो शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक है, ''अन्य स्रोतों से आय'' शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगा । तथापि, उक्त नया खंड वहां लागू नहीं होगा, जहां किसी जोखिम पूंजी उपक्रम द्वारा शेयरों के पुरोधरण के लिए प्रतिफल किसी जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कंपनी से प्राप्त किया जाता है ।

यह और प्रस्ताव किया जाता है कि शेयरों के पुरोधरण के लिए प्रतिफल प्राप्त करने वाली कंपनी को शेयरों के उचित बाजार मूल्य के बारे में अपना दावा सिद्ध करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 22** आय-कर अधिनियम की धारा 68 का, जो रोकड़ जमा के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 68 के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां कोई राशि किसी पूर्ववर्ष के लिए रखी गई निर्धारिती की पुस्तकों में जमा की गई पाई जाती है और निर्धारिती उसकी प्रकृति और स्रोत की बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं है, वहां इस प्रकार जमा की गई राशि निर्धारिती की उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभारित की जा सकेगी ।

पूर्वोक्त धारा में दो नए परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है । पहला परंतुक यह उपबंध करने के लिए है कि जहां निर्धारिती कोई कंपनी है (जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है) और इस प्रकार जमा की गई राशि में शेयर आवेदन धन, शेयर पूंजी, शेयर प्रीमियम या कोई ऐसी रकम, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सम्मिलित है, वहां ऐसी निर्धारिती कंपनी द्वारा दिया गया कोई स्पष्टीकरण तब तक समाधानप्रद नहीं समझा जाएगा, जब तक— (क) वह व्यक्ति भी, जो ऐसा निवासी है, जिसके नाम में ऐसी जमाराशि ऐसी कंपनी की बहियों में अभिलिखित की जाती है, इस प्रकार जमा कराई गई ऐसी राशि की प्रकृति और स्रोत के बारे में भी स्पष्टीकरण नहीं देता है ; और (ख) ऐसा स्पष्टीकरण भी निर्धारण अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं पाया गया है ।

दूसरा परंतुक यह उपबंध करने के लिए है कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी, यदि वह व्यक्ति, जिसके नाम में उसमें निर्दिष्ट राशि अभिलिखित की जाती है, धारा 10 के खंड (23चख) में यथानिर्दिष्ट कोई जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कंपनी है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 23** आय-कर अधिनियम की धारा 80क का, जो कुल आय संगणित करने में की जाने वाली कटौतियों के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 80क की उपधारा (6) के विद्यमान उपबंध में विक्रीत या प्रदाय किए गए माल या सेवाओं के संबंध में और अर्जित किए गए माल या सेवाओं के संबंध में ''बाजार मूल्य'' पद की परिभाषा का उपबंध है ।

पूर्वोक्त स्पष्टीकरण का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसे संव्यवहार की दशा में, जो धारा 92खक में विर्दिष्ट देशी संव्यवहार है, विक्रीत, प्रदत्त या अर्जित किसी माल या सेवाओं के संबंध में बाजार मूल्य धारा 92च के खंड (ii) में ''यथापरिभाषित'' असन्निकट कीमत होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 24** आय-कर अधिनियम की धारा 80ग का, जो जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अभिदाय, कतिपय साधारण शेयरों या डिबेंचरों आदि में अभिदान के संबंध में कटौती से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 80ग की उपधारा (3) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि उपधारा (2) के उपबंध किसी आस्थगित वार्षिकी के लिए संविदा से भिन्न किसी बीमा पालिसी के लिए दिए गए किसी प्रीमियम या किए गए अन्य संदाय के केवल उतने भाग के संबंध में लागू होंगे, जो बीमाकृत वास्तविक पूंजी राशि के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् जारी की गई बीमा पालिसियों के लिए ऐसी बीमा पालिसी पर दिए गए किसी प्रीमियम या किए गए अन्य संदाय पर उतनी कटौती निर्बंधित की जा सके, जितनी वास्तविक बीमा पूंजी राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

''वास्तविक बीमा पूंजी राशि'' पद को परिभाषित करने का और प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 25** आय-कर अधिनियम की धारा 80घ का, जो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की बाबत कटौती के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 80घ के विद्यमान उपबंधों में ऐसे किसी निर्धारिती को, जो कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, पन्द्रह हजार रुपए तक की कटौती करने का उपबंध है, जो विनिर्दिष्ट राशि का संदाय रकम से भिन्न किसी ढंग से,—

(क) जहां निर्धारिती कोई व्यष्टि है, वहां निर्धारिती के स्वास्थ्य या निर्धारिती की पत्नी या उसके पति, या आश्रित बालकों के स्वास्थ्य का ;

(ख) जहां निर्धारिती कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब है, वहां कुटुंब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य का, :

बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए विनिर्दिष्ट राशि का संदाय करता है ।

इसके अतिरिक्त, माता-पिता के स्वास्थ्य संबंधी बीमे को प्रवृत्त बनाए रखने के लिए पन्द्रह हजार रुपए की कटौती भी अनुज्ञात की जाएगी ।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी निर्धारिती द्वारा स्वयं की, अपनी पत्नी या अपने पति की, आश्रित बालकों या माता-पिता की निवारक स्वास्थ्य जांच मद्दे पूर्ववर्ष के दौरान धारा में विहित विद्यमान सीमाओं के भीतर पांच हजार रुपए की सीमा तक किए गए किसी संदाय की बाबत कटौती अनुज्ञात की जा सके ।

विद्यमान उपबंध वरिष्ठ नागरिक की दशा में बीस हजार रुपए तक की उच्चतर कटौती अनुज्ञात करते हैं ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे किसी वरिष्ठ नागरिक को परिभाषित करने के लिए उक्त कटौती के प्रयोजनों की बाबत आय को पैंसठ वर्ष से कम करके साठ वर्ष किया जा सके ।

यह भी प्रस्ताव है कि पूर्वोक्त कटौती के प्रयोजनों के लिए संदाय—(i) निवारक स्वास्थ्य जांच मुद्दे किसी राशि की बाबत नकद सहित, किसी ढंग से; (ii) अन्य सभी मामलों में नकद से भिन्न किसी ढंग से किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 26** आय-कर अधिनियम की धारा 80घघख का, जो चिकित्सीय उपचार आदि की बाबत कटौती से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 80घघख में विद्यमान उपबंध किसी व्यष्टि या उसके आश्रित की दशा में किसी विनिर्दिष्ट बीमारी या रोग के चिकित्सीय उपचार के लिए चालीस हजार रुपए तक की कटौती का उपबंध करते हैं । ऐसे मामले में, जहां वास्तव में संदाय की गई रकम ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में है, जो वरिष्ठ नागरिक है, वहां कटौती चालीस हजार रुपए के स्थान पर साठ हजार रुपए तक अनुज्ञात की गई है ।

पूर्वोक्त धारा के स्पष्टीकरण का खंड (iv) यह उपबंध करता है कि वरिष्ठ नागरिक से भारत में कोई ऐसा व्यष्टि निवासी अभिप्रेत है, जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक की आयु का है ।

पूर्वोक्त स्पष्टीकरण का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हित होने के लिए आयु को पैंसठ वर्ष से कम करके साठ वर्ष किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 27** आय-कर अधिनियम की धारा 80छ का, जो कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दान की बाबत कटौती के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा में एक नई उपधारा (5घ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन दस हजार रुपए से अधिक की किसी राशि के दान की बाबत कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी, जब ऐसी राशि का संदाय नकद से भिन्न किसी ढंग से किया जाता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 28** आय-कर अधिनियम की धारा 80छछक का, जो वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्राम विकास के लिए कतिपय दानों की बाबत कटौती के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा में एक नई उपधारा (2क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन दस हजार रुपए से अधिक किसी राशि की बाबत कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक ऐसी राशि का संदाय नकद से भिन्न किसी ढंग से नहीं किया जाता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 29** आय-कर अधिनियम की धारा 80झक का, जो अवसंरचना विकास आदि में लगे हुए औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iv) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि ऐसे किसी उपक्रम को, कटौती अनुज्ञात की जाएगी जो—(क) विद्युत के उत्पादन या उत्पादन और वितरण के लिए भारत के किसी भाग में स्थापित किया जाता है, यदि वह 1 अप्रैल, 1993 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय विद्युत का उत्पादन प्रारंभ करता है ; (ख) 1 अप्रैल, 1999 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय नई पारेषण या वितरण लाइनों के नेटवर्क बिछाकर पारेषण या वितरण प्रारंभ करता है ; (ग) 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय विद्यमान पारेषण या वितरण लाइनों के नेटवर्क का सारभूत नवीकरण और आधुनिकीकरण करता है ।

पूर्वोक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे समय-सीमा 31 मार्च, 2012 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2013 की जा सके ।

पूर्वोक्त धारा 80झक की उपधारा (8) के विद्यमान स्पष्टीकरण में माल या सेवाओं के संबंध में ''बाजार मूल्य'' की परिभाषा का उपबंध किया गया है ।

पूर्वोक्त स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे उसमें धारा 92च के खंड (ii) में यथा परिभाषित असन्निकट कीमत को, किसी माल या सेवाओं के संबंध में ''बाजार मूल्य'' की परिभाषा में सम्मिलित किया जा सके, जहां ऐसे माल या सेवाएं धारा 92खक में निर्दिष्ट ''विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार'' के अधीन आती है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (10) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां निर्धारण अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि उस पात्र कारबार को, जिसको यह धारा लागू होती है, चलाने वाले निर्धारिती और किसी अन्य व्यक्ति के बीच निकट संबंध होने के कारण या किसी अन्य कारण से, उनके बीच कारबार की इस प्रकार व्यवस्था की गई है कि उनके बीच किए गए कारबार से निर्धारिती को ऐसे सामान्य लाभ से, जिसकी उस पात्र कारबार में उद्भूत होने की आशा की जाती है, अधिक लाभ होता है, वहां निर्धारण अधिकारी इस धारा के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए उस पात्र कारबार के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने में लाभ की उतनी रकम लेगा, जो उससे उचित रूप से व्युत्पन्न हुई समझी जा सकती है ।

पूर्वोक्त उपधारा में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि पूर्वोक्त ठहराव में धारा 92खक में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार अंतर्वलित है, औरे ऐसे संव्यवहार से लाभों की रकम का अवधारण धारा 92च के खंड (ii) में यथा परिभाषित असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 30** अध्याय 6क में एक नया भाग "गक — अन्य आय की बाबत कटौतियां" जिसमें धारा 80ननक अन्तर्विष्ट है जो बचत खातों में निक्षेपों पर ब्याज की बाबत कटौती के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा के अधीन किसी निर्धारिती की, जो कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, सकल कुल आय में,—

(i) ऐसी किसी बैंककारी कंपनी में, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है, (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) ; या

(ii) बैंककारी का कारबार करने में लगी किसी सहकारी सोसाइटी में (जिसके अंतर्गत कोई सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक भी है) ; या

(iii) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 2 के खंड (ट) में यथा परिभाषित किसी डाकघर में,

बचत खाते में निक्षेपों पर, (जो समयबद्ध निक्षेप नहीं हैं) ब्याज के रूप में किसी आय की बाबत कुल मिलाकर दस हजार रुपए की सीमा तक कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 31** आय-कर अधिनियम की धारा 90 का, जो विदेशों या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से करार के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 90 विद्यमान उपबंध केंद्रीय सरकार को विदेशों के साथ करार करने के अतिरिक्त भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार के साथ करार करने की शक्ति प्रदत्त करते हैं ।

पूर्वोक्त धारा 90 में नई उपधारा (2क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि नए अंतःस्थापित अध्याय 10क के उपबंध निर्धारिती को लागू होंगे चाहे ऐसे उपबंध उसके लिए फायदाप्रद हों या नहीं ।

पूर्वोक्त धारा में एक नई उपधारा (4) अंतःस्थपित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई निर्धारिती, जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार लागू होता है, ऐसे करार के अधीन तब तक कोई राहत का दावा करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसके द्वारा उसके, यथास्थिति, भारत के बाहर किसी देश या भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के निवासी

होने का प्रमाणपत्र, जिसमें ऐसी विशिष्टियां हो जो विहित की जाएं, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विद्यमान उपधारा (3) में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम या उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार में प्रयुक्त, किंतु परिभाषित न किए गए किसी पद का, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो और वह इस अधिनियम या करार के उपबंधों से असंगत न हो, वही अर्थ होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में जारी की गई अधिसूचना में है ।

पूर्वोक्त धारा में स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां किसी पद का उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी करार में उपयोग किया जाता है और करार या अधिनियम के अधीन परिभाषित नहीं किया जाता है किन्तु उपधारा (3) के अधीन जारी अधिसूचना में उसका अर्थ दिया गया है और तद्धीन जारी अधिसूचना में प्रवृत्त है । तो ऐसे पद के अर्थ के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस तारीख से प्रभावी है, जिसको उक्त करार प्रवृत्त हुआ था ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 32** आय-कर अधिनियम की धारा 90क का, जो केंद्रीय सरकार द्वारा दोहरी कराधान राहत के लिए विनिर्दिष्ट संगमों के बीच करारों के अंगीकृत किए जाने के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 90क के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि भारत में कोई विनिर्दिष्ट संगम भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में किसी विनिर्दिष्ट संगम के साथ करार कर सकेगा और केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दोहरी कराधान राहत प्रदान करने संबंधी ऐसे करार को अंगीकृत और कार्यान्वित करने के लिए, दोहरे कराधान के परिवर्जन के लिए या आय-कर के अपवंचन या परिवर्जन को रोकने के लिए या आय-कर की वसूली के लिए अन्वेषण के लिए सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए आवश्यक उपबंध कर सकेगी । इसमें यह और उपबंधित है कि ऐसे किसी निर्धारिती की दशा में, जिसको उक्त धारा में निर्दिष्ट करार लागू होता है, आय-कर अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक लागू होंगे जहां तक वे निर्धारिती के लिए अधिक फायदेमंद है । इसमें यह भी उपबंध है कि ऐसे किसी पद का, जिसे आय-कर अधिनियम या उक्त करार में प्रयुक्त किया गया है किन्तु जिसे परिभाषित नहीं किया गया है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो और वह आय-कर अधिनियम या उक्त करार के उपबंधों से असंगत न हो, वही अर्थ होगा जो उसका केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में उसका है ।

पूर्वोक्त धारा 90क में नई उपधारा (2क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि नए अंतःस्थापित अध्याय 10क के उपबंध निर्धारिती को लागू होंगे चाहे ऐसे उपबंध उसके लिए फायदाप्रद हों या नहीं ।

पूर्वोक्त धारा में नई उपधारा (4) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई निर्धारिती, जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार लागू होता है, ऐसे करार के अधीन तब तक कोई राहत का दावा करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसके द्वारा उसके भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के निवासी होने का प्रमाणपत्र, जिसमें ऐसी विशिष्टियां हो जो विहित की जाएं, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों मं लागू होंगे ।

विद्यमान उपधारा (3) में यह उपबंध है कि ऐसे किसी पद का जिसे उक्त करार के संबंध में आय-कर अधिनियम में प्रयुक्त किया जाता है किन्तु जिसे परिभाषित नहीं किया गया है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो और वह आय-कर अधिनियम या उक्त करार के उपबंधों से असंगत न हो, वही अर्थ होगा जो उसका केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में उसका है ।

पूर्वोक्त धारा में एक नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी करार में, जहां ऐसा करार उपधारा (1) के अधीन किया गया है, किसी पद को प्रयुक्त किया गया है किन्तु उक्त करार या अधिनियम के अधीन परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु जिसका उपधारा (3) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में अर्थ दिया गया है और तदधीन जारी की गई अधिसूचना उस समय प्रवृत्त है, तो उस पद के अर्थ के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस तारीख से प्रभावी है जिस तारीख को उक्त करार प्रवृत्त हुआ था ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 2006 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 33** आय-कर अधिनियम की धारा 92 का, जो असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से आय की संगणना के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 92 के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से उद्भूत आय की संगणना असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए की जाएगी ।

पूर्वोक्त धारा का, उसमें एक नई उपधारा (2क) अंतःस्थापित करने के लिए, संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में व्यय या ब्याज या किसी लागत या खर्च या किसी आय के आबंटन के लिए किसी मोक की संगणना असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए की जाएगी ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) और उपधारा (3) का, ''अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार'' शब्दों के स्थान पर, ''अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार'' शब्द प्रतिस्थापित करने के लिए, संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे उसमें विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार को सम्मिलित किया जा सके और उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों को विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के प्रति लागू किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 34** आय-कर अधिनियम की धारा 92ख का, जो अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के अर्थ के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 92ख के विद्यमान उपबंधों में, उक्त धारा तथा धारा 92, धारा 92ग, धारा 92घ, धारा 92ङ के प्रयोजनों के लिए ''अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार'' को परिभाषित करने का उपबंध है ।

पूर्वोक्त धारा में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे ''अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार'' और ''अमूर्त संपत्ति'' पदों की परिभाषा स्पष्ट की जा सके ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 35** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 92खक, जो विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के अर्थ के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा 92खक, विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के अर्थ के बारे में उपबंध करती है, जिसके संबंध में धारा 92 के अधीन आय की संगणना असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए की जाती है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 36** आय-कर अधिनियम की धारा 92ग का, जो असन्निकट कीमत की संगणना के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 92ग की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां सर्वाधिक उपयुक्त रीति से एक से अधिक कीमत का अवधारण किया जाता है, असन्निकट कीमत को ऐसी कीमत का अंकगणितीय साधन माना जाएगा । इसके अतिरिक्त उक्त उपधारा का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि यदि इस प्रकार अवधारित असन्निकट कीमत और उस कीमत के बीच का अंतर, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार वस्तुतः किया गया है, बाद वाली कीमत के ऐसे प्रतिशत से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है, अधिक नहीं है वहां वह कीमत, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार वस्तुतः किया गया है, असन्निकट कीमत समझी जाएगी ।

धारा 92ग की उपधारा (2) के पहले परंतुक में, जैसा वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 द्वारा उसके संशोधन से पूर्व विद्यमान था, अंतर्विष्ट उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां सर्वाधिक उपयुक्त रीति से एक से अधिक कीमतों का अवधारण किया जाता है वहां असन्निकट कीमत को ऐसी कीमतों का अंकगणितीय औसत या निर्धारिती के विकल्प पर ऐसी कीमत को, जो अंकगणितीय औसत से भिन्न हो, ऐसी अंकगणितीय औसत के पांच प्रतिशत से अनधिक रकम द्वारा ऐसी कीमत का अंकगणितीय औसत माना जाएगा ।

पूर्वोक्त धारा 92ग की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि इस प्रकार अवधारित असन्निकट कीमत और उस कीमत के बीच अंतर, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार वस्तुतः किया गया है, बाद वाली कीमत के ऐसे प्रतिशत से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, अधिक नहीं है, वहां वह कीमत जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार वस्तुतः किया गया है, असन्निकट कीमत समझी जाएगी ।

पूर्वोक्त दूसरे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे केंद्रीय सरकार को, इस प्रकार अवधारित असन्निकट कीमत और उस कीमत के बीच, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार वस्तुतः किया गया है, अंतर की दशा में, प्रतिशतता की सीमा, जो तीन प्रतिशत से अधिक न हो, अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान की जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के पश्चात् एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि दूसरे परंतुक के उपबंध असन्निकट कीमत की संगणना के लिए किसी निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियों को भी उस दशा में लागू होंगे, यदि वे 1 अक्तूबर, 2009 को निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित हैं ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी होगा ।

पूर्वोक्त धारा में नई उपधारा (2क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारिती, 1 अप्रैल, 2009 को या उससे पूर्व आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए किसी ऐसे अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत, जिसकी कार्यवाहियां 1 अक्तूबर, 2009 को या उसके पूर्व पूरी हो गई हैं, उपधारा (2) के पहले परंतुक में, जैसे वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 द्वारा उसका संशोधन किए जाने से पूर्व विद्यमान था, निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग करने का उस दशा में हकदार नहीं होगा, यदि उक्त परंतुक में निर्दिष्ट अंकगणितीय औसत और उस कीमत के, जिसमें ऐसा संव्यवहार वस्तुतः किया गया है, बीच का अंतर अंक गणितीय औसत के पांच प्रतिशत से अधिक हो जाता है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

पूर्वोक्त धारा में नई उपधारा (2ख) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (2क) में अंतर्विष्ट कोई बात निर्धारण अधिकारी को (ऐसे किसी निर्धारण वर्ष के लिए, जिसकी कार्यवाहियां 1 अक्तूबर, 2009 को या उसके पूर्व पूरी हो गई हों) धारा 147 के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने या धारा 154 के अधीन पहले से किए गए निर्धारण को बढ़ाने या किसी प्रतिदाय को कम करने या अन्यथा निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाने के लिए सशक्त नहीं करेगी ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 37** आय-कर अधिनियम के अध्याय 10 का, जो कर परिवर्जन से संबंधित विशेष उपबंधों के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त अध्याय 10 के विद्यमान उपबंध कर परिवर्जन से संबंधित विशेष उपबंध करते हैं । पूर्वोक्त अध्याय के अधीन धारा 92ग, धारा 92घ और धारा 92ङ अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार, अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा सूचना और दस्तावेज रखने और बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी लेखापाल की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उपबंध करती हैं ।

"अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार" शब्द रखने के लिए पूर्वोक्त धाराओं का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे पूर्वोक्त धाराओं के उपबंधों को विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार तक विस्तारित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 38** आय-कर अधिनियम की धारा 92गक का, जो अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 92गक के विद्यमान उपबंधों में किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत की संगणना के लिए अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश का उपबंध है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) का "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार" शब्दों के स्थान पर "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार" पद को प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे पूर्वोक्त धारा में असन्निकट कीमत की संगणना के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार को सम्मिलित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

पूर्वोक्त धारा में एक नई उपधारा (2ख) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार, जिसकी बाबत निर्धारिती ने धारा 92ङ के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है और वह संव्यवहार अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष की कार्यवाही के दौरान उसकी जानकारी में आता है, वहां वह उस संव्यवहार को उसी प्रकार हिसाब में लेने के लिए सशक्त होगा मानो ऐसा संव्यवहार निर्धारण अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन उसको निर्दिष्ट किया गया अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार है और आय-कर अधिनियम के अध्याय 10 के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

एक नई उपधारा (2ग) यह उपबंध करने के लिए अंतः स्थापित करने का प्रस्ताव है कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात निर्धारण अधिकारी को धारा 147 के अधीन निर्धारण करने या निर्धारण को बढ़ाने या पहले से किए गए प्रतिदाय को कम करने या अन्यथा धारा 154 के अधीन निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाने का आदेश 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पूर्व प्रारंभ होने वाले किसा निर्धारण वर्ष के संबंध में पारित करने के लिए सशक्त नहीं बनाएगी ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

खंड 39 आय-कर अधिनियम में नई धारा 92गग और धारा 92गघ, जो अग्रिम मूल्यांकन करार और अग्रिम मूल्यांकन करार को प्रभावी रूप देने के संबध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

पूर्वोक्त नई धारा 92गग में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में, असन्निकट कीमत का अवधारण करने या उस रीति का, जिसमें असन्निकट कीमत का अवधारण किया जाना है, विनिर्दिष्ट करने संबंधी अग्रिम मूल्यांकन करार उस व्यक्ति के साथ कर सकेगी ।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट असन्निकट कीमत के अवधारण की रीति के अंतर्गत धारा 92ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पद्धतियां और ऐसे समायोजनों या परिवर्तनों सहित, जिन्हें इस प्रकार करना आवश्यक या समीचीन हो, कोई अन्य पद्धति भी हो सकेगी ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार की, जिसकी बाबत अग्रिम मूल्यांकन करार किया गया है, असन्निकट कीमत, धारा 92ग या धारा 92गक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार किए गए अग्रिम मूल्यांकन करार के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा जो करार में विनिर्दिष्ट की जाए जो किसी भी दशा में पांच लगातार पूर्ववर्षों से अधिक नहीं होगी ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि इस प्रकार किया गया अग्रिम मूल्यांकन करार उस व्यक्ति पर, जिसके मामले में और ऐसे संव्यवहार की बाबत, जिसके संबंध में करार किया गया है और उक्त व्यक्ति और उक्त संव्यवहार की बाबत, आयुक्त और उसके अधीनस्थ आय-कर प्राधिकारियों पर आबद्धकर होगा । तथापि, करार उस दशा में आबद्धकर नहीं होगा यदि इस प्रकार किए गए करार से संबंधित विधि या तथ्यों में कोई परिवर्तन हो जाता है ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, आदेश द्वारा, किसी करार को आरंभ से शून्य घोषित कर सकेगा, यदि उसे यह पता चलता है कि उस व्यक्ति द्वारा करार कपट या तथ्यों का दुर्व्यपदेशन करके अभिप्राप्त किया गया है ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि करार को आरंभ से शून्य घोषित करने पर इस अधिनियम के सभी उपबंध उस व्यक्ति को इस प्रकार लागू होंगे मानो करार कभी किया ही नहीं गया हो और अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी परिसीमा काल की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, उस करार की तारीख से आरंभ होने वाली और उपधारा (7) के अधीन आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित किया जाएगा । तथापि, जहां पूर्वोक्त अवधि के अपवर्जन के ठीक पश्चात् इस अधिनियम के किसी उपबंध में निर्दिष्ट परिसीमा काल साठ दिन से कम हो तो ऐसी शेष अवधि को बढ़ाकर साठ दिन किया जाएगा और पूर्वोक्त परिसीमा काल तदनुसार बढ़ाया गया समझा जाएगा ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि बोर्ड, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक स्कीम, उसमें सामान्यतः अग्रिम मूल्यांकन करार की बाबत रीति, प्ररूप, प्रक्रिया और कोई अन्य विषय विनिर्दिष्ट करते हुए, विहित कर सकेगा ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई करार करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन किया जाता है वहां अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कार्यवाहियां उस व्यक्ति की दशा में लंबित समझी जाएंगी ।

पूर्वोक्त नई धारा 92गघ में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 139 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति ने कोई करार किया है और करार करने की तारीख से पूर्व किसी पूर्ववर्ष से सुसंगत किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में, जिसको ऐसा करार लागू होता है, धारा 139 के उपबंधों के अधीन आय की कोई विवरणी प्रस्तुत की गई है वहां ऐसा व्यक्ति उस मास के, जिसमें उक्त करार किया गया था, अंत से तीन मास की अवधि के भीतर करार के अनुसार और उस तक सीमित एक उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि इस धारा में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के सभी अन्य उपबंध तदनुसार इस प्रकार लागू होंगे मानो उपांतरित विवरणी धारा 139 के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी हो।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यदि किसी पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए, जिसे करार लागू होता है, निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियां उपधारा (1) के अधीन उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति से पूर्व पूरी हो गई हैं, तो निर्धारण अधिकारी, ऐसे किसी मामले में जहां उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उपांतरित विवरणी फाइल की जाती है, करार को ध्यान में रखते हुए और उसके अनुसार सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना करने की कार्यवाही करेगा ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां उस पूर्ववर्ष से सुसंगत किसी निर्धारण वर्ष के लिए, जिसको करार लागू होता है निर्धारण उपधारा (1) के उपबंध के अनुसार उपांतरित विवरणी फाइल करने की तारीख को लंबित है, वहां निर्धारण अधिकारी इस प्रकार फाइल की गई उपांतरित विवरणी पर विचार करते हुए करार के अनुसार निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियों को पूरा करने की कार्यवाही करेगा ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 153 या धारा 153ख या धारा 144ग में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन कुल आय के निर्धारण या पुनःनिर्धारण या उसकी पुनःसंगणना का आदेश उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें उपधारा (1) के अधीन उपांतरित विवरणी प्रस्तुत की जाती है, अंत से एक वर्ष की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा और उपधारा (3) में निर्दिष्ट लंबित निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए धारा 153 या धारा 153ख या धारा 144ग में यथाउपबंधित परिसीमा काल को बारह मास की अवधि तक विस्तारित किया जा सकेगा ।

"करार" पद और किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण या पुननिर्धारण की कार्यवाहियों से संबंधित धारणा उपबंध को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 40** आय-कर अधिनियम के साधारण परिवर्जन रोधी नियम से संबद्ध एक नया अध्याय 10क, जिसमें नई धारा 95, धारा 96, धारा 97, धारा 98, धारा 99, धारा 100, धारा 101 और धारा 102 हैं, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा 95 के उपबंधों में यह उपबंधित है कि किसी निर्धारिती द्वारा किए गए किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित किया जा सकेगा और ऐसी घोषणा के कर से संबंधित परिणामों को अवधारित किया जा सकेगा ।

प्रस्तावित धारा 96 में परिभाषा और उन शर्तों का उपबंध है जिनके अधीन किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित किया जा सकेगा । यह धारा उन परिस्थितियों के लिए भी उपबंध करती है, जिनके अधीन किसी ठहराव के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह कर फायदा अभिप्राप्त करने के मुख्य प्रयोजन के लिए किया गया था या कार्यान्वित किया गया था ।

प्रस्तावित धारा 97 में उन परिस्थितियों के लिए उपबंध है जिनके अधीन किसी ठहराव के बारे में यह समझा जाएगा कि उसमें वाणिज्यिक सारतत्व नहीं है ।

प्रस्तावित धारा 98 में किसी ठहराव के, उसे अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित किए जाने के पश्चात्, कर से संबंधित परिणामों के अवधारण के ढंग का उपबंध है। इसमें कर परिणामों के अवधारण के लिए कतिपय दृष्टांतस्वरूप, किन्तु जो निःशेषकारी नहीं हैं, पद्धतियों के लिए उपबंध है ।

प्रस्तावित धारा 99 में यह उपबंध है कि नए अंतःस्थापित अध्याय 10क के प्रयोजनों के लिए कर फायदों को अवधारित करने हेतु उन पक्षकारों को, जो संबंधित हैं एक ही व्यक्ति के रूप में माना जा सकेगा, अनुकूलक पक्षकार की अनदेखी की जा सकेगी, किसी ठहराव के किसी अनुकूलक या अन्य पक्षकार को एक ही माना जा सकेगा और किसी ठहराव पर उसके अनुसार ध्यान दिया जा सकेगा ।

प्रस्तावित धारा 100 में यह उपबंध है कि नए अंतःस्थापित अध्याय 10क के उपबंध कर दायित्व के अवधारण के किसी अन्य आधार विकल्प के रूप में या उसके अतिरिक्त लागू किए जा सकेंगे ।

प्रस्तावित धारा 101 में नए अंतःस्थापित अध्याय 10क के उपबंधों को लागू करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विहित करने की शक्तियों का उपबंध है ।

प्रस्तावित धारा 102 में, नए अंतःस्थापित अध्याय 10क के लिए सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषा का उपबंध है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 41** आय-कर अधिनियम की धारा 111क का, जो कतिपय मामलों में अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 111क की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, कतिपय पूंजी आस्ति के अंतरण से, जो किसी कंपनी में साधारण शेयर या किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि की इकाई है, उद्भूत किसी अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर, जहां ऐसा संव्यवहार प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभार्य है, पन्द्रह प्रतिशत कर की विशेष दर का उपबंध किया गया है ।

पूर्वोक्त उपधारा के परंतुक में यह उपबंध है कि किसी ऐसे व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जो निवासी है, जहां ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों से घटाकर आई कुल आय उस अधिकतम रकम से कम है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, वहां ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों को उस रकम तक घटाया जाएगा, जिस तक इस प्रकार घटाकर आई कुल आय उस अधिकतम रकम से कम होती है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है और ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों की शेष रकम पर कर की संगणना दस प्रतिशत की दर से की जाएगी। उक्त उपधारा के पूर्वोक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों की शेष रकम पर कर को दस प्रतिशत के बजाय पन्द्रह प्रतिशत किया जा सके ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 42** आय-कर अधिनियम की धारा 115क का, जो विदेशी कंपनियों की दशा में लाभांशों, स्वामिस्व और तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों पर कर के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 115क की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में वे दरें उपबंधित की गई हैं जिन पर आय-कर उस दशा में संदेय होगा, जहां किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी की कुल आय में लाभांशों (धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न); या सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त ब्याज ; या धारा 10 के खंड (47) में निर्दिष्ट किसी अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज के रूप में कोई आय; या धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की विदेशी करेंसी में क्रय किए गए यूनिटों की बाबत आय सम्मिलित है ।

पूर्वोक्त उपधारा के खंड (क) का, उसमें एक नया उपखंड (iiकक) अंतःस्थापित करने के लिए, संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उन दरों का उपबंध किया जा सके जिन पर आय-कर उस दशा में संदेय होगा, जहां किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी की कुल आय में धारा 194ठग में निर्दिष्ट प्रकृति की और सीमा तक ब्याज से प्राप्त आय सम्मिलित है । ब्याज से ऐसी आय पांच प्रतिशत की दर पर कराधेय होगी, पूर्वोक्त खंड में उक्त उपखंड (iiकक) के प्रति निर्देश करने के लिए पारिणामिक संशोधन करने का और प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 43** आय-कर अधिनियम की धारा 115खखक का, जो अनिवासी खिलाड़ियों या खेलकूद संगमों पर कर के संबंध में है, संशोधन करने लिए है ।

धारा 115खखक के विद्यमान उपबंधों में उस दशा में दस प्रतिशत कर के अधिरोपण के लिए उपबंध है, जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में, जो खिलाड़ी है (जिसके अंतर्गत खेलकूद में भाग लेने वाले भी हैं) जो भारत का नागरिक नहीं है और अनिवासी है, भारत में किसी खेल (ऐसे खेल से भिन्न जिसकी जीत धारा 115खख के अधीन कराधेय हैं) या खेलकूद में भाग लेने या विज्ञापन या भारत में समाचारपत्रों, मैगजीनों या पत्रिकाओं में किसी खेल या खेलकूद से संबंधित लेख देने के योगदान के रूप में कोई आय प्राप्त होती है या प्राप्य है या जो अनिवासी खेलकूद संगम या संस्था है, जिसके अंतर्गत भारत में खेले गए किसी खेल के (ऐसे खेल से भिन्न, जिसकी जीत धारा 115खख के अधीन कराधेय हैं) या खेलकूद के संबंध में ऐसे संगम या संस्था को संदाय के लिए गारंटीकृत या संदेय कोई रकम सम्मिलित है, वहां निर्धारिती द्वारा ऐसी आय पर संदेय आय-कर दस प्रतिशत की दर से आय पर परिकलित आय-कर की रकम का योग होगा ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में एक नया खंड (ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसे मनोरंजनकर्ता द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है और अनिवासी है, जिसके मामले में आय भारत में उसके प्रदर्शन से हुई है, प्राप्त या प्राप्य कोई आय सम्मिलित की जा सके और इस धारा में निर्दिष्ट उस आय पर कर को भी दस प्रतिशत से बढ़ाकर बीस प्रतिशत किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 44** आय-कर अधिनियम की धारा 115खखघ का, जो विदेशी कंपनियों से प्राप्त कतिपय लाभांशों पर कर के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 115खखघ में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि जहां किसी निर्धारिती की, जो कोई भारतीय कंपनी है, 1 अप्रैल, 2012 को

प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कुल आय में, किसी समनुषंगी विदेशी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त लाभांशों के रूप में कोई आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर, ऐसे लाभांशों के रूप में आय पर पन्द्रह प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम और आय-कर की उस रकम का, जिसके लिए निर्धारिती तब प्रभार्य हुआ होता यदि उसकी कुल आय में से लाभांशों के रूप में पूर्वोक्त आय की रकम घटा दी जाती, योग होगा। यह और भी उपबंधित है कि लाभांश के रूप में आय की संगणना करने के लिए किसी व्यय या मोक की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

विदेशी लाभांश की बाबत कराधान उपबंधों के लागू होने को वित्तीय वर्ष 2012-2013 के दौरान प्राप्त लाभांशों के रूप में आय के लिए भी विस्तारित करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 45** आय-कर अधिनियम में नई धारा 115खखङ; जो धारा 68 या धारा 69 या धारा 69क या धारा 69ख या धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट आय पर कर के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा 115खखङ की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में, धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख, धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर — (क) धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख, धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट आय पर तीस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ; और (ख) आय-कर की ऐसी रकम, जिसके लिए निर्धारिती उस दशा में प्रभार्य होता, यदि उसकी कुल आय में से उक्त उपधारा के खंड (क) में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी जाती, का योग होगा ।

पूर्वोक्त नई धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्धारिती को उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट अपनी आय की संगणना करने में इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी व्यय या मोक की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 46** आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख का, जो कतिपय कंपनियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 115ञख की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि प्रत्येक निर्धारिती, जो कंपनी है, कंपनी अधिनियम की अनुसूची 6 के भाग 2 और भाग 3 के उपबंधों के अनुसार अपना लाभ-हानि लेखा तैयार करेगा ।

पूर्वोक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक निर्धारिती,—(क) जो ऐसी किसी कंपनी से भिन्न कोई कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (2) का परंतुक लागू होता है, पूर्वोक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग 2 के उपबंधों के अनुसार सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए अपना लाभ-हानि लेखा तैयार करेगा ; या (ख) जो ऐसी कंपनी है, जिसको कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (2) का परंतुक लागू होता है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस कंपनी को शासित करने वाले अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए अपना लाभ-हानि लेखा तैयार करेगा ।

पूर्वोक्त धारा का स्पष्टीकरण 1 यह उपबंध करता है कि "बही-लाभ" से पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा में दर्शित, खंड (क) से खंड (झ) में विनिर्दिष्ट रकम से बढ़ाया गया शुद्ध लाभ अभिप्रेत है ।

पूर्वोक्त स्पष्टीकरण का खंड (झ) के पश्चात् एक नया खंड अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बही-लाभ को ऐसी आस्ति के पूर्व भुगतान या व्यय पर पुनर्मूल्यांकित आस्ति के संबंध में पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में रखी रकम से, बढ़ाया जाएगा, यदि वह लाभ-हानि लेखे में जमा नहीं की जाती है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 47** आय-कर अधिनियम के अध्याय 12खक के शीर्ष का, जो कतिपय सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित विशेष उपबंधों के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त अध्याय 12खक के विद्यमान शीर्ष में कतिपय सीमित भागीदारियों से संबंधित विशेष उपबंधों के लिए उपबंध है । "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्दों के स्थान पर, "कंपनी से भिन्न व्यक्ति" शब्द प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे उक्त अध्याय के अधीन कंपनी से भिन्न कतिपय व्यक्तियों के संबंध में विशेष उपबंध किए जा सकें ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 48** आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग का, जो कतिपय सीमित दायित्व भागीदारियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 115ञग के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा किसी पूर्ववर्ष के लिए संदेय नियमित आय-कर, ऐसे पूर्ववर्ष के लिए संदेय अनुकल्पी न्यूनतम कर से कम है, वहां समायोजित कुल आय उस सीमित दायित्व भागीदारी की कुल आय समझी जाएगी और वह ऐसी कुल आय पर साढ़े अठारह प्रतिशत की दर से आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगा । इसमें यह और उपबंधित है कि समायोजित कुल आय अध्याय 12खक को प्रभावी करने से पूर्व अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन "ग.—कतिपय आय की बाबत कटौतियां" शीर्ष के अधीन दावा की गई कटौतियों और धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौतियों से बढ़ाकर आई कुल आय होगी ।

पूर्वोक्त धारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किसी पूर्ववर्ष के लिए संदेय नियमित आय-कर उस पूर्ववर्ष के लिए संदेय अनुकल्पी न्यूनतम कर से कम है, वहां समायोजित कुल आय को उस व्यक्ति की समायोजित कुल आय समझा जाएगा और वह उस कुल आय पर साढ़े अठारह प्रतिशत की दर से आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

पूर्वोक्त उपबंध के प्रयोजन के लिए समायोजित कुल आय, अध्याय 12खक को प्रभावी करने से पूर्व "ग.—कतिपय आय की बाबत कटौतियां" शीर्ष के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा (धारा 80त से भिन्न) के अधीन दावा की गई कटौतियों और धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौतियों से बढ़ाकर आई कुल आय होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 49** आय-कर अधिनियम की धारा 115ञघ का, जो अनुकल्पी न्यूनतम कर के लिए कर प्रत्यय के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 115ञघ की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि धारा 115ञग के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा संदत्त कर प्रत्यय, संदेय नियमित आय-कर पर संदत्त अनुकल्पी न्यूनतम कर का आधिक्य होगा ।

पूर्वोक्त धारा में प्रयुक्त ''किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा'' के स्थान पर ''किसी व्यक्ति द्वारा'' रखने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 115ञग के अधीन संदत्त कर प्रत्यय उसको उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 50** आय-कर अधिनियम की धारा 115ञङ का, जो इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के लागू होने के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 115ञङ के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि अध्याय 12खक में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, आय-कर अधिनियम के सभी अन्य उपबंध किसी सीमित दायित्व भागीदारी को लागू होंगे ।

पूर्वोक्त धारा में प्रयुक्त ''किसी सीमित दायित्व भागीदारी'' के स्थान पर ''किसी व्यक्ति'' रखने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अध्याय 12खक में यथाउपबंधित के सिवाय, आय-कर अधिनियम के सभी अन्य उपबंध उक्त अध्याय में निर्दिष्ट व्यक्ति को लागू होंगे ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 51** नई धारा 115ञडङ, जो अध्याय 12खक के कतिपय व्यक्तियों को लागू होने के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा 115ञडङ की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि अध्याय 12खक के उपबंध, ऐसे किसी व्यक्ति को लागू होंगे, जिसने शीर्ष ''ग— कतिपय आय की बाबत कटौतियां'' के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा (धारा 80त से भिन्न) शीर्ष या धारा 10कक के अधीन किसी कटौती का दावा किया है ।

पूर्वोक्त नई धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि अध्याय 12खक के उपबंध किसी व्यष्टि या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय को, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट किसी कृत्रिम विधिक व्यक्ति को उस दशा में लागू नहीं होंगे, यदि ऐसे व्यक्ति की समायोजित कुल आय बीस लाख रुपए से अधिक नहीं है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 52** आय-कर अधिनियम की धारा 115ञच का, जो अध्याय 12खक के निर्वचन के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 115ञच के विद्यमान उपबंध अध्याय 12खक के प्रयोजनों के लिए ''लेखापाल'', ''अनुकल्पी न्यूनतम कर'', ''सीमित दायित्व भागीदारी'' और ''नियमित आय-कर'' पदों को परिभाषित करते हैं ।

''सीमित दायित्व भागीदारी'' की परिभाषा से संबंधित खंड (ग) का लोप करने का प्रस्ताव है ।

उसके खंड (घ) में प्रयुक्त ''किसी सीमित दायित्व भागीदारी'' के स्थान पर ''किसी व्यक्ति'' रखने का और प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 53** आय-कर अधिनियम की धारा 115ण का, जो देशी कंपनियों के वितरित लाभों पर कर के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 115ण की उपधारा (1क) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट लाभांशों की रकम में से वित्तीय वर्ष के दौरान देशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश की रकम को, यदि कोई हो, घटा दिया जाएगा, यदि (क) ऐसे लाभांश की रकम उसकी समनुषंगी से प्राप्त होती है ; (ख) समनुषंगी ने ऐसे लाभांश पर इस धारा के अधीन कर का संदाय कर दिया है; और (ग) देशी कंपनी किसी अन्य कंपनी की समनुषंगी नहीं है । उक्त उपधारा यह भी उपबंध करती है कि लाभांश की वही रकम एक से अधिक बार नहीं घटाई जाएगी ।

पूर्वोक्त उपधारा (1क) के खंड (i) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि देशी कंपनी वर्ष के दौरान अपनी किसी समनुषंगी से कोई लाभांश प्राप्त करती है और समनुषंगी कंपनी ने ऐसे लाभांश पर ऐसे लाभांश वितरण कर का, जो संदेय है, संदाय कर दिया है तो उक्त रकम, यदि वह देशी कंपनी द्वारा, जो नियंत्री कंपनी हो, उसी वर्ष में लाभांश के रूप में वितरित की जाती है, पूर्वोक्त धारा के अधीन लाभांश वितरण कर के अधीन नहीं होगी । इसमें उपखंड (ग) का लोप करने का भी प्रस्ताव है जिससे इस शर्त को हटाया जा सके कि ऐसी देशी कंपनी किसी अन्य कंपनी की कोई समनुषंगी न हो ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 54** आय-कर अधिनियम की धारा 115प का, जो कतिपय मामलों में आय पर कर के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 115प की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि में किए गए विनिधानों में से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई आय, उसी रीति में आय-कर से प्रभार्य होगी मानो वह ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई आय होती, यदि उसने जोखिम पूंजी उपक्रम में सीधे विनिधान किया होता ।

पूर्वोक्त उपधारा (1) का ''प्राप्त कोई आय उसी रीति में आय-कर से प्रभार्य होगी मानो वह ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त ऐसी आय होती,'' शब्दों के स्थान पर ''प्रोद्भूत, उद्भूत या प्राप्त कोई आय उसी रीति में आय-कर से प्रभार्य होगी मानो वह ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रोद्भूत, उद्भूत या प्राप्त ऐसी आय होती,'' शब्द रखने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि में किए गए विनिधान में से उस व्यक्ति को प्रोद्भूत, उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त किसी आय पर इस प्रकार कर लगाया जाएगा मानो वह जोखिम पूंजी उपक्रम में सीधे विनिधान से उस व्यक्ति को प्रोद्भूत, उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त आय हो ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की ओर से आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, ऐसी आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को और विहित आय-कर प्राधिकारी को, विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित एक कथन प्रस्तुत करेगा, जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान आय की प्रकृति के ब्यौरे और ऐसे अन्य सुसंगत ब्यौरे दिए जाएंगे, जो विहित किए जाएं ।

पूर्वोक्त उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की ओर से आय जमा करने या उसका संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि, उस व्यक्ति को, जो ऐसी आय की बाबत कर के लिए दायी है तथा विहित आय-कर प्राधिकारी को, उस अवधि के दौरान संदत्त या जमा की गई आय की प्रकृति के ब्यौरे देते हुए, विहित प्ररूप में एक विवरण प्रस्तुत करेंगे ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जोखिम पूंजी कंपनी और जोखिम पूंजी निधि द्वारा संदत्त आय ऐसी आय को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास उसी प्रकृति की और उसी अनुपात में समझी जाएगी, मानो वह पूर्ववर्ष के दौरान, यथास्थिति, जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा प्राप्त की गई हो या उसे उद्भूत हुई हों ।

पूर्वोक्त उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जोखिम पूंजी कंपनी और जोखिम पूंजी निधि द्वारा संदत्त या जमा की गई आय उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति के पास उसी प्रकृति की और उसी अनुपात में समझी जाएगी, जिसमें वह पूर्ववर्ष के दौरान, यथास्थिति, जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा प्राप्त की गई हो या उसे प्रोद्भूत या उद्भूत हुई हो ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (4) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि अध्याय 12घ या अध्याय 12ङ या अध्याय 17ख के उपबंध, ''जोखिम पूंजी कंपनियों और जोखिम पूंजी निधियों से प्राप्त आय पर कर से संबंधित विशेष उपबंध'' अध्याय के अधीन किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा संदत्त आय को लागू नहीं होंगे ।

पूर्वोक्त उपधारा को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूर्ववर्ष के दौरान जोखिम पूंजी उपक्रम में किए गए विनिधानों से जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि को प्रोद्भूत या उद्भूत या उससे प्राप्त आय, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को संदत्त या जमा नहीं की जाती है तो उसे पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को उक्त व्यक्ति के खाते में, जिसमें ऐसा व्यक्ति आय को, यदि उसे पूर्ववर्ष में संदत्त किया जाता, प्राप्त करने के लिए हकदार होता, जमा किया गया समझा जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

एक नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि ऐसी कोई आय, जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति की पूर्ववर्ष में की कुल आय में सम्मिलित किया गया है, उसके उक्त पूर्ववर्ष में उपगत या उद्भूत होने मद्दे ऐसे व्यक्ति की उस पूर्ववर्ष में की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी जिसमें ऐसी आय जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कंपनी द्वारा उसको वस्तुतः संदत्त की जाती है ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 55** आय-कर अधिनियम की धारा 115फछ का, जो टनभार आय की संगणना करने के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) में की विद्यमान सारणी में अर्हक पोत की दैनिक टनभार आय की रकम का उपबंध है ।

पूर्वोक्त सारणी को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी अर्हक पोत की दैनिक टनभार आय की रकम में वृद्धि की जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 56** आय-कर अधिनियम की धारा 139 का, जो आय की विवरणी के संबंध में है, संशोधन करने के लिए हैं ।

पूर्वोक्त धारा 139 की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि प्रत्येक व्यक्ति, यदि उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसकी बाबत वह पूर्ववर्ष के दौरान आय-कर अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, उस अधिकतम रकम से अधिक हो गई थी, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, पूर्ववर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित तथा ऐसी अन्य विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, उपवर्णित करते हुए एक विवरणी नियत तारीख को या उसके पूर्व देगा ।

पूर्वोक्त उपधारा का तीसरे परंतुक के पश्चात् एक परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति, जो निवासी है, जिससे इस उपधारा के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है और जिसकी पूर्ववर्ष के दौरान भारत के बाहर अवस्थित कोई आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में कोई वित्तीय हित भी है) है या जिसे भारत के बाहर अवस्थित किसी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है, पूर्ववर्ष के लिए अपनी आय या हानि की बाबत विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित तथा ऐसी अन्य विशिष्टियों का उल्लेख करते हुए, जो विहित की जाएं, एक विवरणी, नियत तारीख को या उससे पूर्व, प्रस्तुत करेगा ।

पूर्वोक्त धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि खंड (कक) में निर्दिष्ट किसी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में, या ''कंपनी से भिन्न'' ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में, जिसके लेखाओं की आय-कर अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षा कराई जानी अपेक्षित है या ऐसी फर्म में कार्यरत ऐसे भागीदार की दशा में, जिसके लेखाओं की आय-कर अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षा कराई जानी अपेक्षित है, आय की विवरणी फाइल करने की नियत तारीख निर्धारण वर्ष के सितंबर का तीसवां दिन होगा ।

पूर्वोक्त स्पष्टीकरण के खंड (कक) में यह उपबंध है कि ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो ऐसी कंपनी है, जिससे धारा 92ङ के अधीन अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा किसी लेखाकार से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षा की गई है, आय-कर की विवरणी फाइल करने की नियत तारीख निर्धारण वर्ष के नवंबर का तीसवां दिन होगा ।

पूर्वोक्त खंड (क) और खंड (कक) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे आय-कर की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख को ऐसे सभी व्यक्तियों के मामले में भी विस्तारित किया जा सके, जिनसे धारा 92ङ में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है ।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2012-2013 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का **खंड 57** आय-कर अधिनियम की धारा 140क का, जो स्वतः निर्धारण के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 140क की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित है कि निर्धारिती खंड (i) से खंड (v) में विनिर्दिष्ट रकम को हिसाब में लेते हुए आय की विवरणी देने के पूर्व अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन संदेय ब्याज सहित, कर का संदाय करने का दायी है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (v); उपधारा (1क) के खंड (i) के उपखंड (ङ) और उपधारा (1ख) के स्पष्टीकरण के खंड (iv) में ''धारा 115ञकक'' के पश्चात् ''या धारा 115ञघ'' अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 115ञघ के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए उपलब्ध प्रत्यय को भी आय की विवरणी देने से पूर्व धारा 234क और धारा 234ख के अधीन संदेय कर और प्रभार्य ब्याज की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए धारा 140क के अधीन हिसाब में लिया जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 58** आय-कर अधिनियम की धारा 143 का, जो निर्धारण के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 143 के विद्यमान उपबंध; में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित है कि जहां विवरणी धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना के उत्तर में दी गई है, वहां ऐसी विवरणी पर कार्यवाही उसमें उपबंधित रीति में की जाएगी ।

पूर्वोक्त धारा में एक नई उपधारा (1घ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती को सूचना जारी की गई है वहां किसी विवरणी पर कार्यवाही करना आवश्यक नहीं होगा।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पहले और दूसरे पंरतुक में किसी बात के होते हुए भी, निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी न्यास या संस्था के मामले में किसी पूर्ववर्ष में धारा 10 के खंड (23ग) के उपबंधों को प्रभावी नहीं किया जाएगा, यदि धारा 2 के खंड (15) का पहला परंतुक ऐसे व्यक्ति के मामले में उस पूर्ववर्ष में लागू हो जाता है चाहे ऐसे न्यास या संस्था का अनुमोदन किया गया हो या नहीं या ऐसे न्यास या संस्था की बाबत अधिसूचना जारी की गई हो या नहीं ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 59** आय-कर अधिनियम में नई धारा 144खक, जो कतिपय मामलों में आयुक्त को निर्देश करने के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

पूर्वोक्त नई धारा 144खक की प्रस्तावित उपधारा (1) में यह उपबंध है कि यदि निर्धारण अधिकारी निर्धारण या पुननिर्धारण की कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर नए अंतःस्थापित अध्याय 10क के उपबंधों का अवलंब लेना आवश्यक समझता है तो वह उस मामले को आयुक्त को निर्दिष्ट करेगा ।

पूर्वोक्त नई धारा की प्रस्तावित उपधारा (2) में यह उपबंध है कि निर्धारण अधिकारी से निर्देश की प्राप्ति पर यदि आयुक्त की यह राय है कि नए अंतःस्थापित अध्याय 10क के उपबंधों का अवलंब लेना अपेक्षित है तो वह सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर आक्षेप मांगने के लिए निर्धारिती को सूचना जारी करेगा । इसमें यह उपबंध किया गया है कि सूचना में दिया गया समय साठ दिन से अधिक नहीं होगा और सूचना में प्रस्तावित कार्रवाई के कारणों और आधार को प्रकट किया जाएगा ।

पूर्वोक्त नई धारा की प्रस्तावित उपधारा (3) में यह उपबंध है कि यदि निर्धारिती सूचना के प्रति आक्षेप नहीं करता है या उसका उत्तर नहीं देता है तो आयुक्त ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह किसी ठहराव की अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषणा किए जाने के संबंध में ठीक समझे ।

पूर्वोक्त नई धारा की प्रस्तावित उपधारा (4) में यह उपबंध है कि यदि निर्धारिती अध्याय 10क के उपबंधों का अवलंब लेने के प्रति आक्षेप करता है और आयुक्त का निर्धारिती के उत्तर से और उसकी सुनवाई करने पर समाधान नहीं होता तो वह मामले को अनुमोदनकर्ता पैनल को निर्दिष्ट करेगा ।

पूर्वोक्त नई धारा की प्रस्तावित उपधारा (5) में यह उपबंध है कि यदि निर्धारिती की सुनवाई करने के पश्चात् आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि वह अध्याय 10क के उपबंधों का अवलंब लेने के लिए सही मामला नहीं है तो वह लिखित में आदेश पारित कर सकेगा और निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती को उसकी प्रति देगा ।

पूर्वोक्त नई धारा की प्रस्तावित उपधारा (6) में यह उपबंध है कि अनुमोदनकर्ता पैनल, आयुक्त से निर्देश की प्राप्ति पर, ऐसे निदेश जारी करेगा जो वह किसी ठहराव की अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषणा की बाबत ठीक समझे । वह निदेश में उस पूर्ववर्ष या उन पूर्ववर्षों को भी उपबंधित कर सकेगा जिनको ऐसा निदेश लागू होगा ।

पूर्वोक्त नई धारा की प्रस्तावित उपधारा (7) में यह उपबंध है कि ऐसा कोई निदेश, जो निर्धारिती या राजस्व के प्रतिकूल हो, तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि, यथास्थिति, निर्धारिती या निर्धारण अधिकारी को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

पूर्वोक्त नई धारा की प्रस्तावित उपधारा (8) में यह उपबंध है कि अनुमोदनकर्ता पैनल, निदेश जारी करने से पूर्व, अभिलेख या साक्ष्य मंगा सकेगा और आयुक्त को आगे और जांच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा ।

पूर्वोक्त नई धारा की प्रस्तावित उपधारा (9) में यह उपबंध है कि किसी मुद्दे पर मतैक्यता न होने की दशा में निदेश बहुमत की राय के अनुसार जारी किया जाएगा ।

पूर्वोक्त नई धारा की प्रस्तावित उपधारा (10) में यह उपबंध है कि अनुमोदनकर्ता पैनल या आयुक्त द्वारा जारी किया गया प्रत्येक आदेश निर्धारण अधिकारी पर आबद्धकर होगा और निर्धारण अधिकारी ऐसे निदेशों और नए अंतःस्थापित अध्याय 10क के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही पूरी करेगा ।

पूर्वोक्त नई धारा की प्रस्तावित उपधारा (11) में यह उपबंध है कि यदि निदेश उस पूर्ववर्ष से, जिसकी बाबत निर्देश किया गया था, किसी अन्य पूर्ववर्ष के संबंध में लागू होता है तो निर्धारण अधिकारी, उस अन्य पूर्ववर्ष के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण कार्यवाहियों को पूरा करने में निदेशों और अध्याय 10क के उपबंधों द्वारा आबद्ध होगा और उस मुद्दे पर नए निर्देश की अपेक्षा नहीं होगी ।

पूर्वोक्त नई धारा की प्रस्तावित उपधारा (12) में यह उपबंध है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा निर्धारण या पुनःनिर्धारण आदेश, जहां अध्याय 10क के उपबंधों का अवलंब लिया जाता है, केवल आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ही पारित किया जाएगा ।

पूर्वोक्त नई धारा की प्रस्तावित उपधारा (13) में निदेश जारी करने के लिए अनुमोदनकर्ता पैनल द्वारा, निर्देश की प्राप्ति के मास के अंत से छह मास की परिसीमा का उपबंध है ।

पूर्वोक्त नई धारा की प्रस्तावित उपधारा (14) में बोर्ड द्वारा अनुमोदनकर्ता पैनल का गठन करने के लिए उपबंध है, जो आयुक्त या उससे ऊपर की पंक्ति के आय-कर प्राधिकारियों और तीन से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगा ।

पूर्वोक्त नई धारा की प्रस्तावित उपधारा (15) में अनुमोदनकर्ता पैनल के दक्ष कार्यकरण के प्रयोजन के लिए नियम विरचित करने की बोर्ड की शक्ति का उपबंध है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 60** आय-कर अधिनियम की धारा 144ग का, जो विवाद समाधान पैनल के प्रति निर्देश के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 144ग की उपधारा (4) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि निर्धारण अधिकारी, आय-कर अधिनियम की धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, उस मास के, जिसमें स्वीकृति प्राप्त होती है या उपधारा (2) के अधीन आक्षेप फाइल करने की अवधि समाप्त हो जाती है, अंत से एक मास के भीतर उपधारा (3) के अधीन निर्धारण आदेश पारित करेगा ।

पूर्वोक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त उपधारा में धारा 153ख का निर्देश भी दिया जा सके ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी होगा ।

पूर्वोक्त धारा 144ग की उपधारा (8) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि विवाद समाधान पैनल प्रारूप आदेश में प्रस्तावित परिवर्तनों की पुष्टि कर सकेगा, उन्हें कम कर सकेगा या वर्धित कर सकेगा, फिर भी वह किसी प्रस्तावित परिवर्तन को अपास्त नहीं करेगा या अतिरिक्त जांच करने और निर्धारण आदेश पारित करने के लिए उपधारा (5) के अधीन कोई निर्देश जारी नहीं करेगा।

पूर्वोक्त उपधारा में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि परिवर्तन को वर्धित करने की विवाद समाधान पैनल की शक्ति में प्रारूप आदेश से संबंधित निर्धारण कार्यवाहियों से उत्पन्न होने वाले किसी मामले पर, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा विषय पात्र निर्धारिती द्वारा उठाया गया था या नहीं, विचार करने की शक्ति सम्मिलित होगी और सदैव सम्मिलित समझी जाएगी ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा ।

पूर्वोक्त धारा 144ग की उपधारा (13) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि निर्धारण अधिकारी, उपधारा (5) के अधीन जारी निदेशों को प्राप्त करने पर, निदेशों के अनुपालन में, पूर्वोक्त धारा 153 में अंतर्विष्ट प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, निर्धारिती को सुनवाई का कोई और अवसर प्रदान किए बिना, उस मास के अंत से, जिसमें ऐसा निदेश प्राप्त होता है, एक मास के भीतर निर्धारण को पूरा करेगा ।

पूर्वोक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उक्त उपधारा में धारा 153ख का भी निर्देश दिया जा सके ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी होगा ।

पूर्वोक्त धारा 144ग में नई उपधारा (14क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 144ग के उपबंध अंतःस्थापित नई धारा 144खक की उपधारा (12) के अनुसार आयुक्त के अनुमोदन से निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्धारण या पुनर्निर्धारण आदेश को लागू होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 61** आय-कर अधिनियम की धारा 147 का, जो निर्धारण से छूटी आय के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 147 के विद्यमान उपबंधों के अधीन निर्धारण अधिकारी को ऐसे किसी निर्धारण वर्ष के लिए उस आय का, जो निर्धारण से छूट गई है, निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने के लिए, ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् समर्थ बनाया गया है । इसमें यह और उपबंधित है कि जब एक बार निर्धारण की कार्रवाई पुनः आरंभ की जाती है तो ऐसी किसी अन्य आय को, जो निर्धारण से छूट गई है और जो इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के दौरान तत्पश्चात् उसकी जानकारी में आती है, उस निर्धारण में सम्मिलित की जा सकेगी ।

पूर्वोक्त धारा के पहले परंतुक में यह उपबंधित है कि यदि धारा 143 की उपधारा (3) या इस धारा के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कोई निर्धारण किया गया है तो इस धारा के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारिती की ओर से धारा 139 या धारा 142(1) या धारा 148 के अधीन, विवरणी फाइल करने में या अपने निर्धारण के लिए आवश्यक सभी तात्विक तथ्यों को पूर्ण रूप से और सही रूप से प्रकट करने में असफल रहने के कारण निर्धारण से छूट न गई हो ।

पूर्वोक्त धारा के स्पष्टीकरण 2 में उन मामलों को स्पष्ट किया गया है जिन्हें भी ऐसे मामले समझा जाएगा जहां कर से प्रभार्य आय निर्धारण से छूट गई है।

पूर्वोक्त धारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी जहां कोई आय, भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति के संबंध में (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) निर्धारण से छूट गई है ।

पूर्वोक्त स्पष्टीकरण में, एक नया उपखंड (खक) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे उसमें ऐसे मामले को, जहां निर्धारिती ऐसे किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिसकी रिपोर्ट करना उससे धारा 92ङ के अधीन अपेक्षित था, ऐसे धारण मामलों के प्रयोजनों के लिए, सम्मिलित किया जा सके जहां कर से प्रभार्य आय पूर्वोक्त धारा के अधीन निर्धारण से छूट गई है ।

स्पष्टीकरण 2 में एक नया खंड (घ) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां ऐसे व्यक्ति के बारे में यह पाया जाता है कि उसके पास भारत के बाहर अवस्थित कोई आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) है वहां यह समझा जाएगा कि वह निर्धारण से छूट गई आय है ।

धारा 147 के उपबंध प्रक्रिया संबंधी प्रकृति के हैं । तथापि, एक नया स्पष्टीकरण 4 अंतःस्थापित करके यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त संशोधन 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पूर्व आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन आरंभकी गई कार्यवाहियों को भी लागू होंगे ।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 62** आय-कर अधिनियम की धारा 149 का, जो सूचना के लिए समय की परिसीमा के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 149 की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि निर्धारण से छूट गई आय मद्दे निर्धारण की कार्रवाई पुनः आरंभ करने की समय-सीमा वहां छह वर्ष की है, जहां कर से प्रभार्य आय, जो निर्धारण मद्दे से छूट गई है, उस वर्ष के लिए एक लाख रुपए या अधिक है या होने की संभावना है ।

पूर्वोक्त उपधारा में एक नया खंड (ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष, किन्तु सोलह वर्ष से अनधिक व्यपगत हो चुके हों तो जब तक कि कर से प्रभार्य ऐसी आय, भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति के संबंध में (जिनके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) निर्धारण से छूट न गई हो ।

पूर्वोक्त धारा 149 की उपधारा (3) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि यदि वह व्यक्ति, जिस पर धारा 148 के अधीन सूचना की तामील की जानी है, ऐसा व्यक्ति है जो धारा 163 के अधीन अनिवासी का अभिकर्ता माना जाता है और सूचना के अनुसरण में किया जाने वाला निर्धारण, पुनः निर्धारण या पुनः संगणना ऐसे अनिवासी पर, उसके अभिकर्ता के रूप में की जानी है तो सूचना, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत में दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं की जाएगी ।

पूर्वोक्त उपधारा का उसमें "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "छह वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से छह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् सूचना जारी नहीं की जाएगी ।

धारा 149 के उपबंध प्रक्रिया संबंधी प्रकृति के हैं । तथापि उपधारा (3) में एक नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करके यह स्पष्ट किया जाता है वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा यथासंशोधित इस धारा की उपधारा (1) और (3) के उपबंध 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पूर्व आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में इस धारा के अधीन आरंभ की गई कार्यवाहियों को भी लागू होंगे ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 63** आय-कर अधिनियम की धारा 153 का, जो निर्धारणों और पुनः निर्धारणों को पूरा करने के लिए समय की परिसीमा के सम्बन्ध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 153 के विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारण अधिकारी द्वारा कुल आय के निर्धारणों और पुनःनिर्धारणों को पूरा करने के लिए समय सीमा का उपबंध है ।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे निर्धारण और पुनःनिर्धारणों को पूरा करने संबंधी समय-सीमा को पुनरीक्षित किया जा सके । पुनरीक्षित समय-सीमाएं, पूर्वोक्त धारा के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमाएं होंगी जिन्हें तीन मास तक बढ़ाया गया है ।

पूर्वोक्त धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि निर्धारण और पुनःनिर्धारण को पूरा करने के लिए उक्त धारा में अधिकथित परिसीमाकाल की संगणना करने में उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय अवधियों को अपवर्जित किया जाएगा ।

पूर्वोक्त स्पष्टीकरण के खंड (viii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसमें विनिर्दिष्ट अवधि को छह मास से बढ़ाकर एक वर्ष किया जा सके ।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे ।

पूर्वोक्त धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 में नया खंड (ix) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे नए सिरे से अंतःस्थापित धारा 144खक की उपधारा (1) के अधीन आयुक्त द्वारा निर्देश की प्राप्ति से प्रारंभ होने वाली और निर्धारण अधिकारी द्वारा नए सिरे से अंतःस्थापित धारा 144खक की उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश या उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश प्राप्त होने की तारीख को समाप्त होने वाली समयावधि का अपवर्जन करने के लिए उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 64** आय-कर अधिनियम की धारा 153क का, जो तलाशी या अध्यपेक्षा की दशा में निर्धारण के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त उपधारा में तीसरा परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार, उसके द्वारा बनाए गए और राजपत्र में प्रकाशित नियमों द्वारा उन मामलों (ऐसे मामलों के सिवाय, जहां निर्धारण या पुनःनिर्धारण का दूसरे परंतुक के अधीन उपशमन किया गया है) के वर्ग या वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनमें निर्धारण अधिकारी से उस पूर्ववर्ष से, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व के छह निर्धारण वर्षों की कुल आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने के लिए सूचना जारी करने की अपेक्षा नहीं होगी ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 65** आय-कर अधिनियम की धारा 153ख का, जो धारा 153क के अधीन निर्धारण पूरा करने के लिए समय-सीमा के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 153ख की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण और पुनर्निर्धारण को पूरा करने के लिए समय-सीमा के लिए उपबंध है ।

पूर्वोक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे तलाशी या अध्यपेक्षा की दशा में, निर्धारण या पुनर्निर्धारण को पूरा करने के लिए पूर्वोक्त धारा में विनिर्दिष्ट समय-सीमा को पुनरीक्षित किया जा सके । पुनरीक्षित समय-सीमाएं पूर्वोक्त धारा में विनिर्दिष्ट वे समय-सीमाएं होंगी, जिन्हें क्रमशः तीन मास तक बढ़ाया गया है ।

पूर्वोक्त धारा 153ख के स्पष्टीकरण में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि धारा 153क के अधीन निर्धारणों को पूरा करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) में अधिकथित परिसीमा की अवधि की संगणना करने में, उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय अवधियों को अपवर्जित किया जाएगा ।

पूर्वोक्त स्पष्टीकरण के खंड (viii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उसमें विनिर्दिष्ट अवधि को छह मास से बढ़ाकर एक वर्ष किया जा सके ।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे ।

पूर्वोक्त धारा के स्पष्टीकरण में नया खंड (ix) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे नए सिरे से अंतःस्थापित धारा 144खक की उपधारा (1) के अधीन आयुक्त द्वारा निर्देश की प्राप्ति से आरंभ होने वाली और निर्धारण अधिकारी द्वारा नए सिरे से अंतःस्थापित धारा 144खक की उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश या उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश प्राप्त होने की तारीख को समाप्त होने वाली समयावधि का अपवर्जन करने के लिए उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 66** आय-कर अधिनियम की धारा 153ग का, जो किसी अन्य व्यक्ति की आय के निर्धारण के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 153ग में दूसरा परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार, उसके द्वारा बनाए गए और राजपत्र में प्रकाशित नियमों द्वारा, ऐसे अन्य व्यक्ति की बाबत, उन मामलों के वर्ग या वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनमें निर्धारण अधिकारी से उस पूर्ववर्ष से, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों की कुल आय का निर्धारण या पुनर्निधारण करने के लिए सूचना जारी करने की अपेक्षा नही होगी ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 67** आय-कर अधिनियम की धारा 154 का, जो भूल सुधार के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में एक नया खंड (ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई आय-कर प्राधिकारी धारा 200क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी सूचना को संशोधित कर सकेगा ।

उपधारा (2) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है, जिससे "निर्धारिती द्वारा" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "निर्धारिती द्वारा या कटौतीकर्ता द्वारा" शब्द रखे जा सकें।

उपधारा (3) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे "निर्धारिती द्वारा" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "निर्धारिती द्वारा या कटौतीकर्ता द्वारा" शब्द रखे जा सकें।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (5) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि धारा 241 के उपबंधों के अध्यधीन यह है कि जहां ऐसे किसी संशोधन का,

परिणाम निर्धारण को घटाना है, वहां निर्धारण अधिकारी ऐसा प्रतिदाय करेगा जैसा ऐसे निर्धारिती को देय हो ।

पूर्वोक्त उपधारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी ऐसे संशोधन का परिणाम निर्धारण को घटाना या निर्धारिती या कटौतीकर्ता के दायित्व को अन्यथा घटाना हैं वहां निर्धारण अधिकारी ऐसा प्रतिदाय करेगा जैसा ऐसे निर्धारिती या कटौतीकर्ता को देय हो ।

यह और प्रस्ताव है कि उपधारा (6) का संशोधन किया जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां ऐसे किसी संशोधन का परिणाम पहले से किए गए निर्धारण में वृद्धि करना है, प्रतिदाय को घटाना या निर्धारिती या कटौतीकर्ता के दायित्व को अन्यथा बढ़ाना है, वहां निर्धारण अधिकारी, संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्ररूप में मांग की सूचना की, यथास्थिति, निर्धारिती या कटौतीकर्ता पर तामील करेगा और ऐसी मांग की सूचना धारा 156 के अधीन जारी की गई समझी जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

यह प्रस्ताव है कि पूवोक्त धारा की उपधारा (8) का संशोधन किया जाए जिससे ''निर्धारिती'' शब्द के स्थान पर, ''निर्धारिती या कटौतीकर्ता'' शब्द प्रतिस्थापित किए जा सकें ।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 68** आय-कर अधिनियम की धारा 156 का, जो मांग की सूचना के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा संदाय किए जाने वाली किसी राशि का अवधारण किया जाता है, वहां उस उपधारा के अधीन सूचना को इस धारा के प्रयोजनों के लिए मांग की सूचना समझा जाएगी ।

धारा 156 के पूर्वोक्त परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 143 की उपधारा (1) या धारा 200क की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा या कटौतीकर्ता द्वारा संदाय की जाने वाली किसी राशि का अवधारण किया जाता है वहां उन उपधाराओं के अधीन सूचना को, इस धारा के प्रयोजनों के लिए मांग की सूचना समझा जाएगा ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 69** आय-कर अधिनियम की धारा 193 का, जो प्रतिभूतियों पर ब्याज के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 193 के खंड (v) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी व्यष्टि को, जो भारत में निवासी है, किसी ऐसी कंपनी द्वारा, जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, पुरोधृत किसी डिबेंचर पर, यदि ऐसे डिबेंचर भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं; कंपनी द्वारा ब्याज, पाने वाले के खाते में देय चेक द्वारा किया जाता है और कंपनी द्वारा ऐसे व्यष्टि को संदेय ब्याज की रकम का योग दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं है तो भारत में निवासी किसी व्यष्टि को संदेय किसी ब्याज पर, कर की कोई कटौती किए जाने की आवश्यकता नहीं है;

पूर्वोक्त खंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसी कंपनी द्वारा, जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, पुरोधृत किन्हीं डिबेंचरों पर ऐसे किसी व्यष्टि या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब को, जो भारत में निवासी है, संदेय किसी ब्याज पर आय-कर की कटौती नहीं की जाएगी, यदि कंपनी द्वारा ब्याज, पाने वाले के खाते में देय चेक द्वारा संदत्त किया जाता है और कंपनी द्वारा ऐसे व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को वित्तीय वर्ष के दौरान, यथास्थिति, संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभाव्य ऐसे ब्याज की रकम या रकमों का योग पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 70** आय-कर अधिनियम की धारा 194ङ का, जो अनिवासी खिलाड़ियों या खेलकूद संगमों को संदाय के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 194ङ के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां धारा 115खखक में निर्दिष्ट कोई आय, किसी अनिवासी खिलाड़ी (जिसके अंतर्गत खेलकूद में भाग लेने वाला भी है), जो भारत का नागरिक नहीं है या अनिवासी खेलकूद संगम या संस्था को संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, पाने वाले के खाते में ऐसी आय जमा करते समय या नकद या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से, उनमें से जो भी पूर्वतर हो, उसका संदाय करते समय उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसे किसी अनिवासी मनोरंजनकर्ता को भी, जो भारत का नागरिक नहीं है, लागू किया जा सके और इस धारा में निर्दिष्ट आय पर स्रोत पर कर की कटौती को दस प्रतिशत से बढ़ाकर बीस प्रतिशत किया जा सके ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 71** आय-कर अधिनियम की धारा 194ञ का, जो वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 194ञ की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब नहीं है और जो किसी निवासी को वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, या स्वामिस्व के रूप में या धारा 28 के खंड (vक) में निर्दिष्ट राशियों का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि के दस प्रतिशत के बराबर रकम की, पूर्वोक्त धारा के उपबंधों के अनुसार आय-कर के रूप में कटौती करेगा ।

पूर्वोक्त उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसमें एक नया खंड (खक) यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित किया जा सके कि पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसा व्यक्ति, जो कंपनी के किसी निदेशक को किसी पारिश्रमिक या फीस या कमीशन चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, (उनसे भिन्न, जिन पर धारा 192 के अधीन कर कटौती योग्य है) का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, पूर्वोक्त धारा के उपबंधों के अनुसार ऐसी राशि के दस प्रतिशत के बराबर रकम की आय-कर के रूप में कटौती करेगा ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 72** आय-कर अधिनियम की धारा 194ठक का, जो कतिपय स्थावर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर के संदाय के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 194ठक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि कोई व्यक्ति, जो किसी स्थावर संपत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन मद्दे प्रतिकर या वर्धित प्रतिकर या प्रतिफल या वर्धित प्रतिफल के रूप में किसी राशि का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि का नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से, संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस राशि के दस प्रतिशत के बराबर रकम की आय-कर के रूप में कटौती करेगा । तथापि, पूर्वोक्त धारा के परंतुक में यह उपबंध है कि जहां वित्तीय वर्ष के दौरान किसी निवासी को, यथास्थिति, ऐसे संदाय की रकम या ऐसे संदायों की कुल रकम एक लाख रुपए से अधिक नहीं होती है वहां कर की कटौती उस दशा में करना अपेक्षित नहीं होगा ।

एक लाख रुपए की उक्त सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपए करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 73** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 194ठकक, जो कतिपय संपत्ति के अंतरण पर संदाय के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

एक नई धारा 194ठकक यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि ऐसा कोई व्यक्ति (धारा 194ठक में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न),जो अंतरिती है, और किसी निवासी अंतरक को जो किसी स्थावर संपत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के अंतरण के लिए प्रतिफल के रूप में किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि को अंतरक के खाते में जमा करते समय या ऐसी राशि का नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस राशि के एक प्रतिशत के बराबर रकम की आय-कर के रूप में कटौती करेगा।

इसमें यह उपबंधित करने का और प्रस्ताव है कि जहां ऐसी संपत्ति के अंतरण के लिए संदत्त या संदेय प्रतिफल ऐसी संपत्ति के किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में स्थित होने की दशा में, पचास लाख रुपए से कम है या ऐसी संपत्ति के विनिर्दिष्ट क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में स्थित होने की दशा में बीस लाख रुपए से कम है, वहां कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

इसमें यह उपबंधित करने का भी प्रस्ताव है कि यदि ऐसी संपत्ति के अन्तरण के लिए संदत्त या संदेय प्रतिफल ऐसी संपत्ति के अंतरण की बाबत स्टांप-शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य से कम है, वहां इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य को पूर्वोक्त उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए संदत्त या संदेय प्रतिफल समझा जाएगा।

यह उपबंधित करने का भी प्रस्ताव है कि जहां भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ङ) या उपधारा (1क) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई दस्तावेज किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में या में के किसी व्यक्ति के अधिकार, हक या हित को अंतरित, समनुदेशित, सीमित या निर्वापित करने के लिए तात्पर्यित है और जिसके संबंध में कर की कटौती उक्त उपधारा (1) अधीन किया जाना अपेक्षित है, वहां उस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी ऐसे दस्तावेज को तब तक रजिस्टर नहीं करेगा जब तक अंतरिती आय-कर की कटौती किए जाने का और इस प्रकार काटी की गई राशि का केंद्रीय सरकार के जमा खाते में संदाय करने का सबूत विहित प्ररूप में प्रस्तुत नहीं कर देता है ।

यह उपबंधित करने का भी प्रस्ताव है कि धारा 203क के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिससे इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती करने की अपेक्षा की गई है।

इसमें ''कृषि भूमि'', ''स्थावर संपत्ति'' और ''विनिर्दिष्ट क्षेत्र'' पदों को परिभाषित करने के लिए एक स्पष्टीकरण का उपबंध करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 74** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 194ठग, जो कतिपय कारबार में लगी हुई भारतीय कंपनी से ब्याज के रूप में आय के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा 194ठग में यह उपबंधित है कि जहां ब्याज के रूप में कोई आय किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या विदेशी कंपनी को किसी विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी आय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से, संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।

इसमें यह और उपबंधित है कि ब्याज, विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा संदेय ब्याज के रूप में, उसके द्वारा 1 जुलाई, 2012 या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जुलाई, 2015 के पूर्व किसी भी समय उधार ली गई किन्हीं धनराशियों की बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित ऋण करार के अधीन भारत के बाहर किसी स्रोत से विदेशी करेंसी की बाबत आय होगी ; और उस सीमा तक आय होगी, जहां तक ऐसा ब्याज केंद्रीय सरकार द्वारा ऋण और उसके संदाय के निबंधनों को ध्यान में रखते हुए, इस निमित्त अनुमोदित दर पर परिकलित ब्याज की रकम से अधिक नहीं है ।

इसमें पूर्वोक्त धारा के प्रयोजन के लिए ''विदेशी करेंसी'' और ''विनिर्दिष्ट कंपनी'' पदों को भी परिभाषित किया गया है ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 75** आय-कर अधिनियम की धारा 195 का, जो अन्य राशियों के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

यह उपबंधित करने का प्रस्ताव है कि ब्याज के संदाय के संबंध में कटौती की दर का उपबंध करने वाली पूर्वोक्त धारा 195 की उपधारा (1), धारा 194ठख और धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज को, जिसके लिए कटौती की पृथक दर दी गई हैं, लागू नहीं होगी ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा ।

पूर्वोक्त धारा 195 की उपधारा (1) में एक नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उपधारा (1) का अनुपालन करने और उसके अधीन कटौती करने की बाध्यता सभी व्यक्तियों, निवासी या अनिवासी को लागू होती है और सदैव लागू हुई समझी जाएगी तथा विस्तारित की जाती है और सदैव विस्तारित की गई समझी जाएगी, चाहे अनिवासी का भारत में कोई निवास या कारबार का स्थान या कारोबारी संबंध या भारत में किसी प्रकार की किसी रीति में कोई अन्य उपस्थिति हो या नहीं ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1962 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1962-1963 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

पूर्वोक्त धारा में एक नई उपधारा (7) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों या मामलों का कोई वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जहां किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को किसी राशि का, चाहे इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य हो या नहीं, संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निर्धारण अधिकारी को साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्रभार्य राशि के समुचित अनुपात का अवधारण करने के लिए आवेदन करेगा और ऐसे अवधारण पर, उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती, ऐसी राशि के उस अनुपात पर, जो इस प्रकार प्रभार्य है, की जाएगी ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 76** आय-कर अधिनियम की धारा 197क का, जो कुछ दशाओं में कटौती के न किए जाने से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 197क की उपधारा (1ग) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि धारा 193 या धारा 194 या धारा 194क या धारा 194ङङ या धारा 194ट के

अधीन कर की कोई कटौती ऐसे किसी निवासी भारतीय व्यष्टि की दशा में नहीं की जाएगी, जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक की आयु का है, यदि ऐसा व्यष्टि पूर्वोक्त धाराओं में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी आय के संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को विहित प्ररूप में दो प्रतियों में लिखित रूप में और विहित रीति में सत्यापित इस आशय की एक घोषणा प्रस्तुत कर देता है कि उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसी आय उसकी कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित की जानी है, उसकी अनुमानित कुल आय पर कर शून्य होगा ।

पूर्वोक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी व्यष्टि निवासी के संबंध में अर्हक आयु को पैंसठ वर्ष से कम करके साठ वर्ष किया जा सके ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 77 आय-कर अधिनियम की धारा 201 का, जो कटौती करने की या संदाय करने की असफलता के परिणामों के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 201 की उपधारा (1) में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी भी है, जो किसी निवासी को संदत्त राशि पर या किसी निवासी के खाते में जमा राशि पर इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है, ऐसे कर की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाएगा, यदि उस निवासी ने—

(i) धारा 139 के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत कर दी है;

(ii) ऐसी आय की विवरणी में आय की संगणना करने के लिए ऐसी राशि को हिसाब में लिया है ; और

(iii) ऐसी आय की विवरणी में उसके द्वारा घोषित आय पर देय कर संदत्त कर दिया है,

और वह व्यक्ति किसी लेखापाल से इस आशय का एक प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत कर देता है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1क) में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी भी है, किसी निवासी को संदत्त राशि पर या किसी निवासी के खाते में जमा राशि पर इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है किंतु उसे उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाता है, तो खंड (i) के अधीन ब्याज उस तारीख से, जिसको ऐसा कर कटौती योग्य था, ऐसे निवासी द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख तक के लिए संदेय होगा ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

पूर्वोक्त धारा 201 की उपधारा (3) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफलता के लिए व्यतिक्रमी निर्धारिती समझे जाने वाला कोई आदेश, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसे किसी मामले में विवरण फाइल किया जाता है, जिसमें धारा 200 में निर्दिष्ट विवरण फाइल किया गया है, अंत से दो वर्ष की, किसी अन्य मामले में, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें संदाय किया जाता है या प्रत्यय किया जाता है, अंत से चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी समय नहीं किया जाएगा ।

पूर्वोक्त उपधारा के खंड (ii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे चार वर्ष की अवधि को बढ़ाकर छह वर्ष किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (4) के पश्चात् एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे "लेखापाल" पद को परिभाषित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 78** आय-कर अधिनियम की धारा 204 का, जो संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के अर्थ के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 204 का, उसमें एक नया खंड अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य, यथास्थिति, किसी जमा की या किसी राशि के संदाय की दशा में, आहरण और संवितरण अधिकारी या, यथास्थिति, ऐसा कोई अन्य अधिकारी, जो, यथास्थिति, जमा करने या ऐसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, इस धारा के अधीन परिभाषा के अर्थांतर्गत संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति होगा ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 79** आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का, जो एल्कोहाली लिकर, वनोत्पाद, स्क्रैप आदि के व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 206ग की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो विक्रेता है, क्रेता द्वारा संदेय रकम क्रेता के लेखे में से विकलित करते समय या ऐसी रकम उक्त क्रेता से नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट लेकर या किसी अन्य ढंग से प्राप्त करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के किसी माल के क्रेता से, ऐसी रकम के उतने प्रतिशत के बराबर राशि, जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, आय-कर के रूप में संगृहीत करेगा ।

पूर्वोक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उक्त उपधारा में की सारणी में खनिजों से, जो कोयला या लिग्नाइट या लौह अयस्क हों, संबंधित एक नया क्रम संख्यांक (vii) अंतःस्थापित किया जा सके, ताकि ऐसे खनिजों की दशा में, जो कोयला या लिग्नाइट या लौह अयस्क है, एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर के संग्रहण के लिए उपबंध किया जा सके ।

पूर्वोक्त धारा में एक नई उपधारा (1घ) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो विक्रेता है और सोना-चांदी या आभूषणों के विक्रयार्थ प्रतिफल के रूप में नकद में कोई रकम प्राप्त करता है, यदि विक्रय प्रतिफल दो लाख रुपए से अधिक हो जाता है तो नकद में ऐसी रकम प्राप्त करने के समय क्रेता से आय-कर के रूप में विक्रय प्रतिफल के एक प्रतिशत के बराबर राशि संगृहीत करेगा।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (9) का, जो पारिणामिक प्रकृति की हैं, संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (6क) में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी है और क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से प्राप्त रकम पर या क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के खाते से विकलित रकम पर या संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहता है, ऐसे कर की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाएगा, यदि उस क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार ने—

(i) धारा 139 के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत कर दी है ;

(ii) आय की ऐसी विवरणी में आय की संगणना करने में ऐसी राशि को हिसाब में लिया है ; और

(iii) उसके द्वारा घोषित आय पर देय कर संदत्त कर दिया है,

और वह किसी लेखापाल से इस आशय का एक प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, भी प्रस्तुत कर देता है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (7) में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि उपधारा (1घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी है और क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से प्राप्त रकम पर या क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के खाते से विकलित रकम पर या संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहता है, किंतु उसे उपधारा (6क) के पहले परंतुक के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाता है, तो ब्याज उस तारीख से, जिसको ऐसा कर कटौती योग्य था, ऐसे क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख तक के लिए संदेय होगा ।

पूर्वोक्त धारा के स्पष्टीकरण का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे उक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (1घ) के संबंध में "क्रेता" का और "आभूषण" का अर्थ दिया जा सके ।

स्पष्टीकरण में एक नया खंड अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे "लेखापाल" पद को परिभाषित किया जा सके ।

पूर्वोक्त स्पष्टीकरण के खंड (ग) में उपखंड (1घ) अतः स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 80** आय-कर अधिनियम की धारा 207 का, जो अग्रिम कर के संदाय के दायित्व के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 207 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कर, निर्धारिती की ऐसी कुल आय की बाबत, जो उस वित्तीय वर्ष के ठीक पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के लिए कर से प्रभार्य होगी, धारा 208 से धारा 219 के (जिनमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) उपबंधों के अनुसार अग्रिम रूप से संदेय होगा ।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसमें एक नई उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित की जा सके कि पूर्वोक्त धारा के उपबंध भारत में निवासी ऐसे किसी व्यष्टि को लागू नहीं होंगे, जिसकी "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय नहीं है ; और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक की आयु का है और ऐसे व्यष्टि से अग्रिम कर का संदाय करना अपेक्षित नहीं होगा।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 81** आय-कर अधिनियम की धारा 209 का, जो अग्रिम कर की संगणना के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 209 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि जहां अग्रिम कर संदेय है, वहां निर्धारिती अपनी वर्तमान आय पर संदेय अग्रिम कर की वित्तीय वर्ष में प्रवृत्त दरों पर स्वयं संगणना करेगा और उसे जमा करेगा, चाहे उसका पूर्व में कर के लिए निर्धारण किया गया हो या नहीं । इसमें यह और उपबंध है कि सभी मामलों में वित्तीय वर्ष में प्रवृत्त दरों पर परिकलित कर को ऐसी आय में से, जो वर्तमान आय की संगणना में हिसाब में ली गई हो, स्रोत पर कटौती योग्य या स्रोत से संग्रहण किए जाने योग्य रकम में से घटा दिया जाएगा ।

पूर्वोक्त धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे एक परंतुक यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित किया जा सके कि अग्रिम कर संबंधी दायित्व की संगणना करने के लिए, खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन परिकलित आय-कर में से, प्रत्येक दशा में, आय-कर की पूर्वोक्त उतनी रकम घटा दी जाएगी, जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान किसी ऐसी आय में से स्रोत पर कटौती योग्य या संग्रहण योग्य होती, यदि कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ने कर की कटौती के बिना ऐसी आय का संदाय या उसे जमा कर दिया है या कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा ऐसे कर का संग्रहण किए बिना प्राप्त या विकलित कर दी गई है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 82** आय-कर अधिनियम की धारा 234क का, जो आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 234क की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि निर्धारिती कुल आय के संबंध में कर की रकम पर, जैसा कि वह संदत्त अग्रिम कर, यदि कोई हो, स्रोत पर कटौती किए गए या संगृहीत कर ; भारत से बाहर किसी देश में संदत्त कर मद्दे धारा 90 के अधीन अनुज्ञात कर की किसी राहत; धारा 90क में निर्दिष्ट भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त कर मद्दे उस धारा के अधीन अनुज्ञात कर की किसी राहत ; धारा 91 के अधीन अनुज्ञात संदेय भारतीय आय-कर से किसी कटौती ; और धारा 115ञक के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात किसी कर प्रत्यय की रकम को घटाकर आए, प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (vi) में "धारा 115ञकक" के पश्चात्, "या धारा 115ञघ" अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कुल आय पर कर से धारा 115ञघ के अधीन मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात कर प्रत्यय को कम करने के लिए उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 83** आय-कर अधिनियम की धारा 234ख का, जो अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 234ख की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि निर्धारिती अग्रिम कर की उस रकम पर, जो निर्धारित कर से कम हो जाती है, प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा । उक्त उपधारा का स्पष्टीकरण 1 "निर्धारित कर" को परिभाषित करता है, जिससे, धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित कुल आय पर कर और जहां कोई नियमित निर्धारण किया जाता है, वहां ऐसे नियमित निर्धारण के अधीन अवधारित कुल आय पर कर, जैसा कि वह स्रोत पर काटे गए या संग्रहण किए गए किसी कर ; धारा 90 के अधीन अनुज्ञात कर की किसी राहत ; धारा 90क के अधीन अनुज्ञात कर की किसी राहत ; धारा 91 के अधीन अनुज्ञात संदेय भारतीय आय-कर से किसी कटौती ; और धारा 115ञकक के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात किसी कर प्रत्यय की रकम को घटाकर आए, अभिप्रेत है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (v) में "धारा 115ञकक" के पश्चात्, "या धारा 115ञघ" अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे निर्धारित कर से धारा 115ञघ के अधीन मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात कर प्रत्यय को कम करने के लिए उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 84** आय-कर अधिनियम की धारा 234ग का, जो अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 234ग की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि निर्धारिती विवरणी में दी गई आय पर देय कर के विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम रकम पर प्रत्येक मास के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा । उक्त धारा के स्पष्टीकरण में "विवरणी में दी गई आय पर देय कर" को परिभाषित किया गया है जिससे उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें कर का संदाय किया जाता है या वह संदेय है, ठीक पश्चात्वर्ती 1 अप्रैल को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा दी गई आय की विवरणी में घोषित कुल आय पर प्रभार्य ऐसा कर अभिप्रेत है, जैसा वह स्रोत पर कटौती योग्य या संग्रहण योग्य किसी कर ; धारा 90 के अधीन अनुज्ञात कर की किसी राहत; धारा 90क के अधीन अनुज्ञात कर की किसी राहत; धारा 91 के अधीन अनुज्ञात संदेय भारतीय आय-कर से किसी कटौती; और धारा 115ञकक के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात किसी कर प्रत्यय की रकम को घटाकर आए ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (v) में "धारा 115ञकक" के पश्चात्, "या धारा 115ञघ" अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे विवरणी में दी गई आय पर देय कर से धारा 115ञघ के अधीन मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात कर प्रत्यय को कम करने के लिए उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 85** आय-कर अधिनियम की धारा 234घ में, जो अधिक प्रतिदाय पर ब्याज के संबंध में है, एक नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने के लिए है ।

धारा 234घ की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन कोई प्रतिदाय निर्धारिती को मंजूर किया जाता है और नियमित निर्धारण पर कोई प्रतिदाय देय नहीं है ; या धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिदाय की गई रकम नियमित निर्धारण पर प्रतिदेय रकम से अधिक है, वहां निर्धारिती प्रत्येक मास या प्रतिदाय की मंजूरी की तारीख से ऐसे नियमित निर्धारण की तारीख तक की अवधि में समाविष्ट किसी मास के भाग के लिए इस प्रकार प्रतिदाय की गई संपूर्ण या अधिक रकम पर आधा प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

पूर्वोक्त धारा के स्पष्टीकरण में यह उपबंधित है कि जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई निर्धारण धारा 147 या धारा 153क के अधीन पहली बार किया जाता है, वहां इस प्रकार किए गए निर्धारण को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए नियमित निर्धारण माना जाएगा ।

एक नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि इस धारा के उपबंध 1 जून, 2003 से पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में भी लागू होंगे, यदि उस निर्धारण वर्ष की बाबत कार्यवाहियां उक्त तारीख के पश्चात् पूरी होती हैं ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 86** आय-कर अधिनियम में, एक नया उपशीर्ष "छ—कतिपय दशाओं में फीस का उद्ग्रहण" तथा नई धारा 234ङ, जो विवरण प्रस्तुत करने में व्यतिक्रमों के लिए फीस के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

एक नई धारा 234ङ अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि,—

(1) अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां कोई व्यक्ति धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में विहित समय के भीतर विवरण परिदत्त करने में या परिदत्त कराने में असफल रहता है वहां वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, दो सौ रुपए की राशि का, फीस के रूप में, संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस की रकम, यथास्थिति, कटौती योग्य या संग्रहण करने योग्य कर की रकम से अधिक नहीं होगी ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस की रकम, धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक के अनुसार विवरण परिदत्त करने से या परिदत्त कराने से पूर्व संदत्त की जाएगी ।

(4) इस धारा के उपबंध धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट ऐसे विवरण को लागू होंगे, जो 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, यथास्थिति, स्रोत पर काटे गए कर या स्रोत पर संगृहीत कर के लिए परिदत्त किया जाना है या परिदत्त कराया जाना है ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 87** आय-कर अधिनियम की धारा 245ग का, जो मामलों के समझौते के लिए आवेदन के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 245ग की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (ik) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि ऐसा कोई आवेदन तभी किया जाएगा जब उस दशा में, जहां आवेदक खंड (i) में निर्दिष्ट व्यक्ति का नातेदार है, जिसने आवेदन फाइल किया है ; और ऐसे आवेदक की दशा में, जो धारा 153क या धारा 153ग में निर्दिष्ट व्यक्ति है, धारा 153क की उपधारा (1) के खंड (ख) या धारा 153ख की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्षों में से किसी वर्ष के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियां आरंभ कर दी गई हैं, वहां आवेदनों में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम दस लाख रुपए से अधिक है ।

पूर्वोक्त खंड के स्पष्टीकरण में, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट व्यक्ति के संबंध में आवेदक" और "सारवान् हित" पदों को परिभाषित किया गया है ।

उक्त स्पष्टीकरण के खंड (ख) में यह उपबंधित है कि किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका किसी कारबार या वृत्ति में कोई सारवान् हित है, यदि,—

(अ) ऐसे मामले में, जहां कारबार या वृत्ति किसी कंपनी द्वारा की जाती है, वहां ऐसा व्यक्ति पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय ऐसे शेयरों का हिताधिकारी स्वामी है (जो ऐसे शेयर नहीं हैं जो लाभांश की नियत दर के हकदार हों, चाहे लाभों में हिस्सा बांटने के अधिकार सहित या उसके बिना) जिनकी मतदान शक्ति बीस प्रतिशत से कम नहीं है ; और

(आ) किसी अन्य मामले में, ऐसा व्यक्ति पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय ऐसे कारबार या वृत्ति के लाभों के बीस प्रतिशत से अन्यून का फायदा लेने का हकदार है ।

पूर्वोक्त खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका सारवान् हित है, यदि ऐसा व्यक्ति तलाशी की तारीख को हिताधिकारी स्वामी है ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 88** आय-कर अधिनियम की धारा 245थ का, जो अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 245थ की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन चार प्रतियों में किया जाएगा और उसके साथ दो हजार पांच सौ रुपए की फीस होगी ।

पूर्वोक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे दो हजार पांच सौ रुपए की फीस को बढ़ाकर दस हजार रुपए तक या ऐसी फीस तक किया जा सके, जो इस निमित्त विहित की जाए, इनमें से जो भी उच्चतर हो ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 89** आय-कर अधिनियम की धारा 246क का, जो आयुक्त (अपील) के समक्ष अपीलीय आदेश के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है।

पूर्वोक्त धारा 246क के विद्यमान उपबंधों में धारा 143(3), धारा 147, धारा 150, आदि के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध, आयुक्त (अपील) को निर्धारिती द्वारा अपील करने के लिए उपबंध है ।

उपधारा (1) और उक्त उपधारा के खंड (क) में "निर्धारिती" शब्द के पश्चात् "कटौतीकर्ता" शब्द के प्रति निर्देश सम्मिलित करने का प्रस्ताव है, जिससे उसे पूर्वोक्त धारा के अधीन अपील फाइल करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

उपधारा (1) के खंड (क) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कटौतीकर्ता धारा 200क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना के विरुद्ध आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे।

पूर्वोक्त धारा 246क की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख), खंड (खक) और खंड (ग) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि नई अंतःस्थापित धारा 144खक की उपधारा (12) के अधीन आयुक्त के अनुमोदन से पारित निर्धारण या पुनःनिर्धारण का कोई आदेश या ऐसे किसी आदेश के संबंध में धारा 154 या धारा 155 के अधीन पारित कोई आदेश आयुक्त (अपील) के समक्ष अपीलीय नहीं होगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

पूर्वोक्त धारा 246क की उपधारा (1) के खंड (खक) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि धारा 153क के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण के आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा ।

पूर्वोक्त खंड (खक) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 153क के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण के आदेश से [विवाद समाधान पैनल के निदेशों के अनुसरण में पारित किसी आदेश के सिवाय] व्यथित कोई निर्धारिती आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी होगा ।

पूर्वोक्त धारा 246क की उपधारा (1) में एक नया खंड (खख) यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि धारा 92गघ की उपधारा (3) के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण के किसी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती, आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

पूर्वोक्त धारा 246क की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि उक्त उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आदेशों के विरुद्ध अपील आयुक्त (अपील) को होगी ।

पूर्वोक्त उपधारा (1) के खंड (ञ) के उपखंड (आ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 271ककख के अधीन पारित शास्ति संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील आयुक्त (अपील) के समक्ष भी होगी।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 90** आय-कर अधिनियम की धारा 253 का, जिसमें अपील अधिकरण को अपीलों से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 253 की उपधारा (1) के खंड (खक) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि विवाद समाधान पैनल के निदेशों के अनुसरण में धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 147 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश या उस आदेश के संबंध में धारा 154 के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती, अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

उपधारा (1) के पूर्वोक्त खंड (घ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विवाद समाधान पैनल के निदेशों के अनुसरण में धारा 153क या धारा 153ग के अधीन किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश या उस आदेश के संबंध में धारा 154 के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती भी अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी होगा ।

पूर्वोक्त उपधारा (1) का, उक्त उपधारा में यह उपबंध करने हेतु नया खंड (ङ) अंतःस्थापित करने के लिए, संशोधन करने का और प्रस्ताव है, कि नई अंतःस्थापित धारा 144खक की उपधारा (12) के अधीन आयुक्त के अनुमोदन से पारित निर्धारण या पुनःनिर्धारण का कोई आदेश या ऐसे किसी आदेश के संबंध में धारा 154 या धारा 155 के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील अपील अधिकरण के समक्ष होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

पूर्वोक्त धारा में नई उपधारा (2क) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आयुक्त, यदि वह धारा 144ग की उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती द्वारा 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् फाइल किए गए किसी आक्षेप की बाबत धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी किए गए किसी निदेश के प्रति आक्षेप करता है, जिसके अनुसरण में निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण या पुनर्निर्धारण पूरा करते हुए आदेश पारित किया है, निर्धारण अधिकारी को आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करने का निदेश दे सकेगा ।

पूर्वोक्त धारा में नई उपधारा (3क) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (2क) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख के, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील करने की ईप्सा की गई है, निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल के निदेशों के अनुसरण में पारित किया जाता है, साठ दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी ।

उपधारा (4) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे उसमें यह उपबंध किया जा सके कि विवाद समाधान पैनल में निदेशों के अनुसरण में निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध उसमें द्वारा अपील फाइल की जा सकेगी।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 91** आय-कर अधिनियम की धारा 254 का, जो अपील अधिकरण के आदेश के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 254 की उपधारा (2क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसमें धारा 253 की उपधारा (2क) का प्रतिनिर्देश अंतःस्थापित किया जा सके। प्रस्तावित संशोधन धारा 253 के संशोधन को देखते हुए पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 92** आय-कर अधिनियम की धारा 271 का, जो विवरणियां न देना, सूचना का अनुपालन न करना, आय का छिपाना, आदि के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 271 के स्पष्टीकरण 7 के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जिसने कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, धारा 92ग की उपधारा (4) के अधीन कुल आय की संगणना करने में कोई रकम जोड़ी जाती है या अनुज्ञात नहीं की जाती है वहां इस प्रकार जोड़ी गई या अनुज्ञात नहीं की गई रकम के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसी आय के रूप में है, जिसकी बाबत विशिष्टियां छिपाई गई हैं या गलत विशिष्टियां दी गई हैं, जब तक कि निर्धारिती निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) या आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसे संव्यवहार में प्रभारित या संदत्त कीमत की संगणना सद्भावपूर्वक और सम्यक् तत्परता से धारा 92ग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और उसके अधीन विहित रीति से की गई थी ।

पूर्वोक्त स्पष्टीकरण का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसमें उसमें उक्त स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार का निर्देश सम्मिलित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 93** आय-कर अधिनियम की धारा 271कक को, जो अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में जानकारी और दस्तावेजों को रखने और बनाए रखने में असफलता के लिए शास्ति के संबंध में है, प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 271कक के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने धारा 92ख में यथापरिभाषित अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, धारा 92घ की उपधारा (1) या उपधारा (2) की अपेक्षानुसार कोई जानकारी और दस्तावेज रखने और बनाए रखने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति, शास्ति के रूप में, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

पूर्वोक्त धारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त धारा के अधीन भी शास्ति उस दशा में उद्गृहीत किए जाने का उपबंध किया जा सके, जहां ऐसा व्यक्ति, ऐसे संव्यवहार की, जिसको करने की उससे अपेक्षा की जाती है, रिपोर्ट देने में असफल रहता है ; या गलत जानकारी देता है या गलत दस्तावेज बनाए रखता है या प्रस्तुत करता है ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 94** आय-कर अधिनियम की धारा 271कक का, जो अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में जानकारी और दस्तावेजों को रखने और बनाए रखने में असफलता के लिए शास्ति के संबंध में है (इस विधेयक के खंड 93 द्वारा यथा प्रतिस्थापित) संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 271कक के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति, धारा 92घ की उपधारा (1) या उपधारा (2) की अपेक्षानुसार कोई ऐसी जानकारी और दस्तावेज रखने या बनाए रखने में असफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि का शास्ति के रूप में संदाय करने का निदेश दे सकेगा ।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उसमें "विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार" के प्रति निर्देश सम्मिलित किया जा सके जिससे यह उपबंधित किया जा सके कि ऐसे मामलों का विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार की बाबत जानकारी और दस्तावेज नहीं रखे गए हैं या ऐसे विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार को रिपोर्ट नहीं किया गया है या निर्धारिती गलत जानकारी या दस्तावेज रखता है या देता है वहां विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के मूल्य के दो प्रतिशत की शास्ति उद्गृहीत की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 95** आय-कर अधिनियम की धारा 271ककक का, जो तलाशी आरंभ किए जाने की दशा में शास्ति के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 271ककक की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों में यह उपबंधित है कि ऐसे किसी मामले में जहां तलाशी 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन आरंभ की गई है, वहां निर्धारिती उसके द्वारा संदेय कर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की अप्रकटित आय के दस प्रतिशत की दर से संगणित राशि का, शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के उपबंध ऐसे मामलों के संबंध में भी लागू होंगे, जहां तलाशी 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 जुलाई, 2012 के पूर्व धारा 132 के अधीन आरंभ की गई है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 96** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 271ककख का, जो तलाशी आरंभ किए जाने की दशा में शास्ति के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

पूर्वोक्त नई धारा 271ककख में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसे किसी मामले में, जहां तलाशी 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन आरंभ की गई है, वहां निर्धारिती उसके द्वारा संदेय कर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की अप्रकटित आय के दस प्रतिशत की दर से संगणित राशि का, शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा, यदि ऐसा निर्धारिती (i) तलाशी के अनुक्रम में धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन विवरण में अप्रकटित आय को स्वीकार करता है और उस रीति को, जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न की गई है, विनिर्दिष्ट करता है ; (ii) उस रीति का प्रमाण देता है, जिसमें अप्रकटित आय व्युत्पन्न की गई थी ; और (iii) विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व (अ) अप्रकटित आय की बाबत ब्याज, यदि कोई हो, के साथ कर का संदाय करता है ; और (आ) विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी, उसमें ऐसी अप्रकटित आय की घोषणा करते हुए, प्रस्तुत करता है ।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि निर्धारिती, उसके द्वारा संदेय कर, यदि कोई है, के अतिरिक्त ऐसी राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा जो विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की अप्रकटित आय के बीस प्रतिशत की दर से संगणित की जाए, यदि ऐसा निर्धारिती, (i) तलाशी के अनुक्रम में धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन विवरण में अप्रकटित आय को स्वीकार नहीं करता है ; (ii) विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व (अ) विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष के लिए प्रस्तुत की गई आय की विवरणी में ऐसी आय की घोषणा करता है ; और (आ) अप्रकटित आय की बाबत ब्याज, यदि कोई हो, के साथ कर का संदाय करता है ।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि निर्धारिती, उसके द्वारा संदेय कर यदि कोई है, के अतिरिक्त ऐसी राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा जो ऐसे किसी मामले में यदि वह खंड (क) और खंड (ख) के उपबंधों के अंतर्गत नहीं आता है, विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की अप्रकटित आय के तीस प्रतिशत से कम नहीं होगी, किंतु नब्बे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपबंधों के अधीन कोई शास्ति, निर्धारिती पर, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अप्रकटित आय की बाबत अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि धारा 274 और धारा 275 के उपबंध, जहां तक हो सके, प्रस्तावित नई धारा के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, ''अप्रकटित आय'', ''विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष'' और ''विनिर्दिष्ट तारीख'' पदों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 97** आय-कर अधिनियम की धारा 271छ का, जो धारा 92घ के अधीन जानकारी या दस्तावेज देने में असफलता के लिए शास्ति के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 271छ के विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसने कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, धारा 92घ की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कोई जानकारी या दस्तावेज देने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा ।

पूर्वोक्त धारा का उसमें ''विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार'' के प्रति निर्देश सम्मिलित करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे मामलों में, जहां निर्धारिती धारा 92घ की अपेक्षानुसार कोई दस्तावेज या जानकारी देने में असफल रहता है वहां ऐसे मामलों में विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के मूल्य के दो प्रतिशत शास्ति उद्गृहीत की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 98** आय-कर अधिनियम में नई धारा 271ज, जो विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए शास्ति के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

नई धारा 271ज अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्ति शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा, यदि वह धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में विहित समय के भीतर विवरण परिदत्त करने में या परिदत्त कराने में असफल रहता है ; या उस विवरण में, जो धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन परिदत्त किया जाना या कराया जाना अपेक्षित है, गलत जानकारी प्रस्तुत करता है ।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति ऐसी राशि की होगी, जो दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट असफलता के लिए कोई शास्ति ऐसी दशा में अधिरोपणीय नहीं होगी, यदि वह व्यक्ति यह साबित कर देता है कि काटे गए या संगृहीत कर का ऐसी फीस और ब्याज के साथ, यदि कोई हो, केंद्रीय सरकार के खाते में संदाय करने के पश्चात् उसने धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट विवरण को, ऐसे विवरण को परिदत्त करने या परिदत्त कराने के लिए विहित समय से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व परिदत्त कर दिया था या परिदत्त करा दिया था ।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि इस धारा के उपबंध धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट किसी ऐसे विवरण को लागू होंगे, जो 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, यथास्थिति, स्रोत पर काटे गए कर या स्रोत पर संगृहीत कर के लिए परिदत्त किया जाना है या परिदत्त कराया जाना है ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 99** आय-कर अधिनियम की धारा 272क का, जो प्रश्नों का उत्तर देने, कथन पर हस्ताक्षर करने, जानकारी, विवरणियां या कथन देने, निरीक्षण अनुज्ञात करने, आदि में असफलता के लिए शास्ति के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों में, किसी व्यक्ति द्वारा उक्त उपधारा के खंड (क) से खंड (ठ) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में शास्ति के उद्ग्रहण का उपबंध है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि खंड (ट) में निर्दिष्ट असफलता के लिए कोई शास्ति उस दशा में अधिरोपणीय नहीं होगी, यदि ऐसी असफलता धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट ऐसे विवरण के संबंध में है, जो 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, यथास्थिति, स्रोत पर काटे गए कर या स्रोत पर संगृहीत कर के लिए परिदत्त किया जाना है या परिदत्त कराया जाना है ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 100** आय-कर अधिनियम की धारा 273ख का, जो कतिपय दशाओं में शास्ति अधिरोपित न किए जाने के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि किसी व्यक्ति या निर्धारिती पर उसमें उपबंधित धाराओं में निर्दिष्ट असफलता के लिए कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि उक्त असफलता के लिए युक्तियुक्त हेतुक था ।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उसमें नई अंतःस्थापित धारा 271ज के प्रति निर्देश अंतःस्थापित किया जा सके । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

खंड 101 आय-कर अधिनियम की धारा 276ग का, जो जानबूझकर कर आदि के अपवंचन करने के प्रयास के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 276ग की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय किसी कर, शास्ति या ब्याज का किसी भी रीति से जानबूझकर अपवंचन करने का प्रयास करेगा तो वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उस पर अधिरोपणीय किसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे मामले में, जहां

वह रकम जिसके अपवंचन किए जाने का प्रयास किया जाता है, एक लाख रुपए से अधिक है, वहां कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ; तथा किसी अन्य मामले में, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

पूर्वोक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उस रकम की, जिसके अपवंचन करने का प्रयास किया जाता है, सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर पचीस लाख रुपए और अधिकतम कारावास को तीन वर्ष से कम करके दो वर्ष किया जा सके ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी कर, शास्ति या ब्याज का किसी भी रीति से जानबूझकर अपवंचन करने का प्रयास करेगा तो वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उस पर अधिरोपणीय किसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कठिन कारावास से, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और न्यायालय के विवेकानुसार जुर्माने का भी भागी होगा ।

पूर्वोक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे अधिकतम कारावास को तीन वर्ष से कम करके दो वर्ष किया जा सके ।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 102** आय-कर अधिनियम की धारा 276गग का, जो आय की विवरणी देने में असफल रहने के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 276गग के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति सीमांत फायदों की विवरणी, जिसका दिया जाना धारा 115बघ की उपधारा (1) के अधीन या उक्त धारा की उपधारा (2) या धारा 115बज के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षित है या धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अथवा धारा 142 की उपधारा (1) के खंड (i) या धारा 148 या धारा 153क के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षित है, सम्यक् समय के भीतर देने में जानबूझकर असफल रहेगा तो वह ऐसे मामले में, जहां कर की रकम, जिसका यदि असफलता प्रकट नहीं होती, अपवंचन हो जाता, एक लाख रुपए से अधिक है, वहां कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा ; तथा किसी अन्य मामले में, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कर की रकम की, जिसका यदि असफलता प्रकट नहीं होती, अपवंचन हो जाता, सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर पच्चीस लाख रुपए और अधिकतम कारावास को तीन वर्ष से कम करके दो वर्ष किया जा सके ।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 103** आय-कर अधिनियम की धारा 277 का, जो सत्यापन आदि में मिथ्या कथन के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 277 के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी सत्यापन में कोई ऐसा कथन करेगा या कोई ऐसा लेखा या विवरणी परिदत्त करेगा, जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह या तो जानता है या यह विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या यह विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है तो वह ऐसे मामले में, जहां कर की रकम, जिसका यदि वह कथन या लेखा सत्य मान लिया जाता तो अपवंचन हो जाता, एक लाख रुपए से अधिक है, वहां कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा ; तथा किसी अन्य मामले में, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किंतु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कर की रकम की, जिसका अपवंचन हो गया हो, सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर पच्चीस लाख रुपए और अधिकतम कारावास को तीन वर्ष से कम करके दो वर्ष किया जा सके ।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 104** आय-कर अधिनियम की धारा 277क का, जो लेखा बहियों या दस्तावेज आदि के मिथ्याकरण के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 277क के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति (प्रथम व्यक्ति) जानबूझकर और किसी अन्य व्यक्ति को (द्वितीय व्यक्ति) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य और अधिरोपणीय किसी कर या ब्याज या शास्ति का अपवंचन करने में समर्थ बनाने के आशय से किसी लेखाबही या इस अधिनियम के अधीन प्रथम व्यक्ति या द्वितीय व्यक्ति के विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में सुसंगत या उपयोगी अन्य दस्तावेज में ऐसी कोई प्रविष्टि या कथन करता है या कराता है, जो मिथ्या है और जिसके बारे में प्रथम व्यक्ति यह जानता है कि वह मिथ्या है या यह विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है, तो वहां प्रथम व्यक्ति ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किंतु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे अधिकतम कारावास को तीन वर्ष से कम करके दो वर्ष किया जा सके ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 105** आय-कर अधिनियम की धारा 278 का, जो मिथ्या विवरणी आदि के दुष्प्रेरण के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 278 के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति कर से प्रभार्य किसी आय या किसी सीमांत फायदे के संबंध में ऐसा लेखा या कथन या घोषणा देने और परिदत्त करने के लिए, जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह या तो जानता है या वह यह विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या यह विश्वास नहीं करता कि वह सत्य है या धारा 276ग की उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध करता है तो वह उस मामले में, जहां कर, शास्ति या ब्याज की वह रकम, जिसका, यदि वह घोषणा, लेखा या कथन सत्य मान लिया जाता तो अपवंचन हो जाता या जिसका जानबूझकर अपवंचन करने का प्रयास किया जाता है, एक लाख रुपए से अधिक है, वहां कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा ; तथा किसी अन्य मामले में, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कर, शास्ति या ब्याज की रकम की, जिसका अपवंचन किया गया हो, सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर पच्चीस लाख रुपए और अधिकतम कारावास को तीन वर्ष से कम करके दो वर्ष किया जा सके ।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 106** आय-कर अधिनियम में नई धारा 280क, धारा 280ख, धारा 280ग और धारा 280घ, जो विशेष न्यायालयों, विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराधों, अपराधों का समन मामले के रूप में विचारण और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होने के संबंध में हैं, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा 280क में यह उपबंध है कि केंद्रीय सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, अध्याय 22 के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए एक या अधिक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायालयों को ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए अथवा ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित कर सकेगी ।

इस खंड में यह और स्पष्ट किया गया है कि ''उच्च न्यायालय'' से उस राज्य का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसमें विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित प्रथम वर्ग का कोई मजिस्ट्रेट, ऐसे पदाभिधान से ठीक पूर्व कार्य कर रहा था ।

इस खंड में यह भी उपबंध है कि आय-कर अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय कोई विशेष न्यायालय उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न ऐसे अपराध का भी विचारण करेगा, जिससे अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन समान विचारण में आरोपित किया गया हो ।

प्रस्तावित नई धारा 280ख में यह उपबंध है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, (क) अध्याय 22 के अधीन दंडनीय अपराध, यथास्थिति, उस क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए अथवा ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग या समूह के लिए गठित किए गए विशेष न्यायालय द्वारा ही विचारणीय होगा, जिसमें अपराध किया गया है । तथापि, धारा 292 के अधीन अपराधों के विचारण करने के लिए सक्षम कोई न्यायालय, (i) जिसे इस धारा के अधीन अपराधों का विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित किया गया है, उसके समक्ष के अपराधों का या ऐसे पदाभिधान के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन उद्भूत अपराधों का विचारण करता रहेगा ; (ii) जिसे विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित नहीं किया गया है, उसके समक्ष लंबित ऐसे अपराधों का, उनका निपटारा किए जाने तक, विचारण जारी रख सकेगा ; (ख) विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा की गई किसी शिकायत पर, ऐसे अपराध का संज्ञान ले सकेगा, जिसके लिए अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किया जाता है ।

प्रस्तावित नई धारा 280ग में यह उपबंध है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय, अध्याय 22 के अधीन दो वर्ष से अनधिक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय किसी अपराध का समन मामले के रूप में विचारण करेगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, जैसे वे समन मामले के विचारण की दशा में लागू होते हैं, तदनुसार लागू होंगे ।

प्रस्तावित नई धारा 280घ में यह उपबंध है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध (जिसके अंतर्गत जमानतों या बंधपत्रों के बारे में उपबंध भी हैं) विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्तियों को लोक अभियोजक समझा जाएगा ।

इस खंड में यह और उपबंध है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा वाले किसी अधिवक्ता के रूप में, सात वर्ष से अन्यून के लिए व्यवसाय में नहीं रहा है ।

इस खंड में यह भी उपबंध है कि इस धारा के अधीन किसी लोक अभियोजक या किसी विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (प) के अर्थान्तर्गत लोक अभियोजक समझा जाएगा और उस संहिता के उपबंधों का तदनुसार प्रभाव होगा ।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 107** आय-कर अधिनियम में धारा 292गग का, जो तलाशी या अध्यपेक्षा की दशा में प्राधिकार और निर्धारण के संबंध में है, अन्तःस्थापित करने के लिए है ।

पूर्वोक्त नई धारा 292गग अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, धारा 132 के अधीन प्राधिकार या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति के नाम पृथक्तया जारी करना आवश्यक नहीं होगा।

इसमें यह और प्रस्तावित है कि जहां धारा 132 के अधीन प्राधिकार जारी किया गया है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा एक से अधिक व्यक्तियों के ऐसे नामों का वर्णन करते हुए की गई है वहां उस प्राधिकार या अध्यपेक्षा पर एक से अधिक नामों के वर्णन का यह अर्थ लगाया गया नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय के नाम में जारी किया गया था ।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि इस बात के होते हुए भी कि धारा 132 के अधीन प्राधिकार जारी किया गया है या धारा 132क के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों के नाम उल्लिखित करते हुए अध्यपेक्षा की गई है, निर्धारण या पुनर्निर्धारण उस प्राधिकार या अध्यपेक्षा में वर्णित प्रत्येक व्यक्ति के नाम में पृथक्तया किया जा सकेगा ।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1976 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1976-1977 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 108** आय-कर अधिनियम की धारा 296 का, जो नियमों और कुछ अधिसूचनाओं का संसद् के समक्ष रखे जाने के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 296 के विद्यमान उपबंधों में नियमों और कतिपय अधिसूचनाओं का संसद् के समक्ष रखे जाने का उपबंध है ।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 153क की उपधारा (1) के तीसरे परंतुक या धारा 153ग की उपधारा (1) के दूसरे परतुंक के अधीन बनाए गए नियमों को संसद् के समक्ष रखा जाएगा ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

धन-कर

विधेयक का **खंड 109** धन-कर अधिनियम की धारा 2 का, जो परिभाषाओं के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 2 के खंड (डक) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि ऐसे मामले में, जहां कोई आवास किसी कंपनी द्वारा किसी ऐसे कर्मचारी या अधिकारी या निदेशक को निवास के प्रयोजनों के लिए आबंटित किया जाता है, जो पूर्णकालिक नियोजन में है और जिसका सकल वार्षिक वेतन पांच लाख रुपए से कम है, वहां उस गृह को ऐसी आस्तियों की परिभाषा में सम्मिलित नही किया जाएगा, जिन पर धन-कर प्रभारित किया जाता है ।

पूर्वोक्त खंड के उपखंड (i) की मद (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कर्मचारियों या किसी अधिकारी या निदेशक की, जो पूर्णकालिक नियोजन में है, पूर्वोक्त सकल वार्षिक वेतनसीमा को पांच लाख रुपए से बढ़ाकर दस लाख रुपए किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 110** धन-कर अधिनियम की धारा 17 का, जो निर्धारण से छूट गए धन के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 17 की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन निर्धारण अधिकारी को ऐसे किसी निर्धारण वर्ष के लिए उस धन का, जो निर्धारण से छूट गया है, ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने के लिए समर्थ बनाया गया है । इसमें यह और उपबंधित है कि जब एक बार निर्धारण की कार्रवाई पुनः आरंभ की जाती है तो ऐसे किसी अन्य धन को भी, जो निर्धारण से छूट गया है और जो इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के दौरान बाद में उसकी जानकारी में आता है, उस निर्धारण में सम्मिलित किया जा सकेगा ।

पूर्वोक्त उपधारा के पहले परंतुक में यह उपबंधित है कि यदि धारा 16 की उपधारा (3) या इस धारा के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कोई निर्धारण किया गया है तो इस धारा के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारिती की ओर से धारा 14 या धारा 15 के अधीन या धारा 16 की उपधारा (4) या इस धारा के अधीन जारी की गई किसी सूचना के उत्तर में, विवरणी फाइल करने में या अपने निर्धारण के लिए आवश्यक सभी तात्विक तथ्यों को पूर्ण रूप से और सही रूप से प्रकट करने में असफल रहने के कारण निर्धारण से छूट न गई हो ।

पूर्वोक्त उपधारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी जहां कर से प्रभार्य कोई शुद्ध धन किसी निर्धारण वर्ष के लिए, भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति के संबंध में (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) निर्धारण से छूट गया है ।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1क) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध करने के लिए खंड (ग) में एक नया परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके कि यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष, किन्तु सोलह वर्ष से अनधिक व्यपगत हो चुके हों, जब तक कि कर से प्रभार्य ऐसा शुद्ध धन, भारत के बाहर अवस्थित उन आस्तियों (जिनके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूट न गया हो ।

पूर्वोक्त उपधारा में के स्पष्टीकरण का संशोधन करने का भी और प्रस्ताव है जिससे उसमें एक खंड यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित किया जा सके कि जहां ऐसे व्यक्ति के बारे में यह पाया जाता है कि उसके पास भारत के बाहर अवस्थित कोई आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) है, वहां उसे एक ऐसा मामला भी समझा जाएगा जहां कर से प्रभार्य धन निर्धारण से छूट गया है ।

इसमें नया स्पष्टीकरण 2 अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि (वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा यथासंशोधित) पूर्वोक्त धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2012 को या उससे पूर्व आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष को भी लागू होंगे ।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 111** धन-कर अधिनियम की धारा 17क का, जो निर्धारण और पुनर्निर्धारण पूरा करने के लिए समय-सीमा के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 17क के विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारण अधिकारी द्वारा शुद्ध धन के निर्धारण और पुनर्निर्धारण को पूरा करने की समय-सीमा का उपबंध किया गया है ।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे निर्धारण और पुनर्निर्धारण को पूरा करने की समय-सीमा को पुनरीक्षित किया जा सके । पुनरीक्षित समय-सीमाएं, जो क्रमशः तीन मास तक बढ़ाई गई हैं, पूर्वोक्त धारा के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमाएं होंगी ।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 112** धन-कर अधिनियम की धारा 45 का, जो कतिपय मामलों में अधिनियम को लागू न होने के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 45 के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि उस धारा में प्रगणित अस्तित्वों के शुद्ध धन की बाबत धन-कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा ।

पूर्वोक्त धारा में नया खंड (ट) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि भारतीय रिजर्व बैंक के शुद्ध धन की बाबत कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1957 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1957-1958 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 113** भारत में स्थित किसी पूंजी आस्ति के भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी के शेयर या शेयरों के अंतरण के परिणामस्वरूप या भारत के बाहर किसी करार के परिणामस्वरूप या अन्थथा अंतरण के माध्यम से या उससे प्रोद्भूत या उद्भूत आय की बाबत कतिपय मामलों में आय-कर अधिनियम,1961 के अधीन मांग आदि के विधिमान्यकरण का उपबंध करने के लिए है ।

यह खंड उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

सीमाशुल्क

विधेयक का **खंड 114** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 2 के खंड (10) का संशोधन करने के लिए है, जिससे ''सीमाशुल्क विमानपतन'' की परिभाषा को उपांतरित किया जा सके।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 115** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (कक) का संशोधन करने के लिए है, जिससे ''आधान डिपो'' शब्दों के स्थान पर ''आधान डिपो या विमान भाड़ा स्टेशन'' शब्द प्रतिस्थापित किए जा सकें ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 116** सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 28ककक यह उपबंध करने हेतु अंतःस्थापित करने के लिए है कि विदेशी व्यापार (विकास

और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अधीन जारी की गई लिखतों, जैसे कि शुल्क प्रत्यय स्क्रिप, के उपयोग से संबंधित कतिपय ऐसे मामलों में, जहां लिखत उस व्यक्ति द्वारा, जिसे वह जारी की गई थी या उसके अभिकर्ता या कर्मचारी द्वारा दुरभिसंधि द्वारा या जानबूझकर मिथ्या कथन करके या तथ्यों को छिपाकर अभिप्राप्त की गई थी और उसका उपयोग ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया था, जिसने उसे मूल धारक से अर्जित किया था, वहां ऐसे उपयोग से संबंधित शुल्कों को ऐसे व्यक्ति से वसूल किया जाएगा, जिसे लिखत जारी की गई थी ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 117** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28खक का, जो संपत्ति की अनंतिम कुर्की के संबंध में है, कतिपय मामलों में राजस्व की संरक्षा करने हेतु संशोधन करने के लिए है जिससे कि इसे प्रस्तावित खंड 28ककक को भी लागू किया जा सके ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 118** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसमें यह उपबंधित करने के लिए एक नया परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके कि केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे आयातकर्ताओं का वर्ग या के वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो ऐसे शुल्क का इलैक्ट्रानिक रूप में संदाय करेंगे ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 119** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 75क की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है जिससे "धारा 28कख" के प्रति निर्देश के स्थान पर "धारा 28कक" के प्रति निर्देश भूतलक्षी रूप से 8 अप्रैल, 2011 से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 120** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 104 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के स्थान पर नई उपधारा (3) से उपधारा (6) रखने के लिए है।

पूर्वोक्त धारा कि उपधारा (3) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां किसी सीमाशुल्क अधिकारी ने उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए (धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से भिन्न) गिरफ्तार किया है वहां उसे, उस व्यक्ति को जमानत पर या अन्यथा निर्मुक्त करने के प्रयोजन के लिए, वही और उन्हीं उपबंधों के अधीन रहते हुए शक्तियां होंगी, जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को है और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन हैं ।

उसकी उपधारा (4) यह उपबंध करने के लिए है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध (धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास की अवधि दंडनीय किसी अपराध के सिवाय) जमानतीय होंगे ।

उसकी उपधारा (5) यह उपबंध करने के लिए है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या अधिक के कारावास की अवधि से दंडनीय किसी अपराध के सिवाय, असंज्ञेय होंगे ।

उसकी उपधारा (6) यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे ।

ये संशोधन उस तारीख से प्रभावी होंगे जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 121** सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 104क, जो धारा 135 के अधीन अपराधों के लिए, लोक अभियोजक को सुने बिना जमानत का मंजूर न किए जाने के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति जमानत पर या अपने स्वयं के बंधपत्र पर तब तक निर्मुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक—

(i) लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो; और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, मजिस्ट्रेट का यह समाधान न हो गया हो कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं कि वह उस अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है ।

यह एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए भी है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो अठारह वर्ष से कम आयु का है या स्त्री है या बीमार या शिथिलांग है, यदि मजिस्ट्रेट इस प्रकार निदेश दे तो जमानत पर निर्मुक्त किया जा सकेगा ।

उसकी उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के बारे में अन्वेषण तब तक नहीं करेगा जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा अथवा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो आदेश में की जाएं, विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत न किया गया हो ।

ये संशोधन उस तारीख से प्रभावी होंगे जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 122** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 122 के खंड (ख) का संशोधन करने के लिए है, जिससे ''दो लाख'' शब्दों को ''पांच लाख'' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके और उसके खंड (ग) में, ''दस हजार'' शब्दों को, ''पचास हजार'' शब्दों से प्रतिस्थापित करके संशोधन करने के लिए है ।

ये संशोधन उस तारीख से प्रभावी होंगे जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 123** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 138 के स्थान पर नई धारा यह उपबंध करने हेतु प्रतिस्थापित करने के लिए है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का (धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से भिन्न) विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः किया जा सकेगा ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 124** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 153 के खंड (क) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसमें ''जिस व्यक्ति के लिए वह आशयित है, उस व्यक्ति को या उसके अभिकर्ता को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा''

शब्दों के स्थान पर ''या ऐसी कुरियर सेवाओं द्वारा, जो सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अनुमोदित की जाएं,'' शब्द प्रतिस्थापित किए जा सके।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 125** दूसरी अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद पर संपूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट भूतलक्षी रूप से 1 मार्च, 2011 से 16 मार्च, 2012 तक प्रदान करने के लिए है ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

सीमाशुल्क टैरिफ

विधेयक का **खंड 126** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ग का संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा के उपबंधों को चाइनीज एक्सेसन प्रोटोकाल के अधीन संक्रमणकालीन उत्पाद विनिर्दिष्ट रक्षोपाय तंत्र के अनुरुप बनाया जा सके ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 127** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन करने के लिए है, जिससे—

(क) कतिपय प्रविष्टियों के वर्गीकरण को पुनरीक्षित आईएसआरआई के वर्गीकरण के अनुरूप बनाया जा सके ;

(ख) कतिपय टैरिफ मदों के वर्णन में परिवर्तनों को सम्मिलित किया जा सके ;

(ग) कतिपय टैरिफ मदों पर सीमाशुल्क की दर को पुनरीक्षित किया जा सके ;

(घ) कतिपय टैरिफ मदों के वर्गीकरण से संबंधित अध्याय टिप्पण अंतःस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 128** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे सभी प्रकार के क्रोमियम अयस्क और सांद्रों पर 3,000 रुपए प्रति टन की निर्यात शुल्क दर को बढ़ाकर चौथी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 30% मूल्यानुसार किया जा सके।

उत्पाद-शुल्क

विधेयक का **खंड 129** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ख) के स्पष्टीकरण के खंड (i) का संशोधन करने के लिए है जिससे ''अंतर संबद्ध उपक्रम'' पद की परिभाषा को 2003 के अधिनियम 12 की धारा 66 द्वारा उसके निरसन को देखते हुए एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अनुरूप सम्मिलित किया जा सके ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 130** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है, जिससे ''एक लाख'' शब्दों के स्थान पर ''तीस लाख'' शब्द रखे जा सकें ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 131** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 9क का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसकी उपधारा (1) को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित किया जा सके कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए और उस अधिनियम के अधीन सभी अपराध धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास की अवधि से दंडनीय अपराध के सिवाय असंज्ञेय होंगे ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 132** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (5) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसमें कतिपय शब्दों को प्रतिस्थापित किया जा सके । इसके अतिरिक्त, यह खंड उक्त धारा 11क की उपधारा (8) को प्रतिस्थापित करने के लिए भी है जिससे उपधारा (1) के खंड (क) या उपधारा (4) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में सूचना की तामील की बाबत किसी अपील प्राधिकारी या अधिकरण या न्यायालय द्वारा दी गई रोक की अवधि का अपवर्जन करने का उपबंध किया जा सके ।

ये संशोधन उस तारीख से प्रभावी होंगे जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 133** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कग की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उनमें कतिपय शब्दों को प्रतिस्थापित किया जा सके । यह उक्त उपधारा (1) के खंड (ग) का संशोधन करने के लिए भी है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कम की गई शास्ति का फायदा केवल तभी उपलब्ध होगा जब शास्ति की ऐसी रकम का संदय तीस दिन की अवधि के भीतर कर दिया जाता है ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 134** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 12च का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसकी उपधारा (2) को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित किया जा सके कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, जहां तक हो सके, इस उपांतरण के अधीन रहते हुए इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को भी लागू होंगे कि उक्त संहिता की धारा 165 की उपधारा (5) का इस प्रकार प्रभाव होगा मानो ''मजिस्ट्रेट'' शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, ''केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त'' शब्द रखे गए हों ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 135** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर नई धारा 13 और धारा 13क रखने के लिए है ।

प्रस्तावित धारा 13 गिरफ्तारी की शक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

उक्त खंड का उपखंड (1) यह उपबंध करने के लिए है कि यदि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है तो वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा और यथासंभवशीघ्र उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित करेगा ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को, अनावश्यक विलंब के बिना, किसी मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी ने उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को

किसी अपराध के लिए (धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से भिन्न) गिरफ्तार किया है वहां उसे, उस व्यक्ति को जमानत पर या अन्यथा निर्मुक्त करने के प्रयोजन के लिए, वही और उन्हीं उपबंधों के अधीन रहते हुए शक्तियां होंगी, जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को है और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन हैं ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करने के लिए है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध (धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के सिवाय) जमानतीय होंगे ।

उपधारा (5) यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे ।

प्रस्तावित नई धारा 13क, यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए जमानत लोक अभियोजक को सुने बिना मंजूर नहीं की जाएगी ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति जमानत पर या अपने स्वयं के बंधपत्र पर तब तक निर्मुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक—

(i) लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो ; और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां मजिस्ट्रेट का यह समाधान न हो गया हो कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं कि वह उस अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है ।

इसके अतिरिक्त यह एक परंतुक यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने के लिए है कि ऐसे किसी व्यक्ति को, जो अठारह वर्ष से कम आयु का है या स्त्री है या बीमार या शिथिलांग है, यदि मजिस्ट्रेट इस प्रकार निदेश दे तो जमानत पर निर्मुक्त किया जा सकेगा ।

उसकी उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के बारे में अन्वेषण तब तक नहीं करेगा जब तक उसे केंद्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत न किया गया हो ।

ये संशोधन उस तारीख से प्रभावी होंगे जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 136** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर एक नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन की गईं सभी तलाशियां और इस अधिनियम के अधीन की गईं सभी गिरफ्तारियां, इस अधिनियम के अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन की गई तलाशियों और गिरफ्तारियों से क्रमशः संबंधित उस संहिता के उपबंधों के अनुसार की जाएंगी ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 137** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के बारे में कार्यवाही से संबंधित धारा 19 का लोप करने के लिए है ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 138** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 20 का संशोधन करने के लिए है जिससे "धारा 19 के अधीन" शब्दों और अंकों का लोप किया जा सके । यह खंड "ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष" शब्दों के पूर्व "इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार" शब्द अंतःस्थापित करने के लिए है।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 139** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 62 (अ), तारीख 6 फरवरी, 2010 का पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबन्ध किया जा सके कि अन्य ऐसी इकाइयों के लिए, जो उक्त अधिसूचना के अधीन सारवान् विस्तार कर रही हैं, दस वर्ष की छूट की अवधि की संगणना विस्तारित क्षमता से वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से की जाएगी।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 140** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची का छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध करने की दृष्टि से कि ये मदें समझे गए विनिर्माण से संबंधित धारा 2 के खंड (च) के उपखंड (iii) के अंतर्गत आएंगी, टैरिफ मद 2402 20 10 से 2402 20 90 से संबंधित क्रम सं0 26क को अंतःस्थापित किया जा सके ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

विधेयक का **खंड 141** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का सांतवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन करने के लिए है, जिससे—

(क) कतिपय प्रविष्टियों के वर्गीकरण को पुनरीक्षित आईएसआरआई कोड के वर्गीकरण के समरूप लाया जा सके ;

(ख) कतिपय टैरिफ मदों के वर्णन में परिवर्तनों को सम्मिलित किया जा सके ;

(ग) कतिपय टैरिफ मदों की बाबत टैरिफ दरों को पुनरीक्षित किया जा सके ;

(घ) कतिपय टैरिफ मदों के वर्गीकरण से संबंधित अध्याय-टिप्पणों को अंतःस्थापित किया जा सके जिससे यह समझा जा सके कि कतिपय प्रक्रियाएं विनिर्माण की कोटि में आएंगी ।

विधेयक का **खंड 142** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 54 में एक नया अध्याय-टिप्पण 1क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि टिप्पण 1 में किसी बात के होते हुए भी, मानव निर्मित फाइबर को, जैसे प्लास्टिक और प्लास्टिक अपशिष्ट से, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट पालिथिलीन टेरेफेथालेट बोतलें भी हैं, पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर और पोलिएस्टर फिलामेंट सूत, यथास्थिति, अध्याय 54 या अध्याय 55 के अधीन टेक्सटाइल सामग्री के रूप में भूतलक्षी रूप से 29 जून, 2010 से वर्गीकृत किया जाएगा ।

उक्त खंड का उपखंड (2) तारीख 29 जून, 2010 से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उत्पाद-शुल्क की वूसली के लिए की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई को विधिमान्य करने के लिए है । यह खंड उत्पाद-शुल्क के संदाय के लिए एक मास की समय-सीमा नियत करने का तथा संदाय करने में असफल रहने की दशा में उत्पाद-शुल्क के साथ चौबीस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का संदाय करने का और उपबंध करने के लिए है ।

यह खंड यह भी उपबंध करने के लिए है कि ऐसे शुल्क की रकम की, जो उपरोक्त रूप में वसूली योग्य है, संगणना करने में निर्धारिती, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के अधीन केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यक्ष के फायदे को उस दशा में, यदि उसका निर्धारिती द्वारा ऐसे माल के गैर उत्पाद-शुल्क्य या छूट प्राप्त माल माने जाने के कारण फायदा नहीं उठाया गया है, हिसाब में लिए जाने का हकदार होगा ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

सेवा कर

विधेयक का **खंड 143** वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 का, जो सेवा कर के संबंध में है, सेवाओं के विनिर्दिष्ट वर्णन पर आधारित सेवाओं की कराधान की विद्यमान प्रणाली को नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट सेवाओं से भिन्न सभी सेवाओं के कराधान की एक नई प्रणाली से प्रतिस्थापित करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है ।

उपखंड (क) धारा 65 में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस धारा के उपबंध उस तारीख से लागू नहीं होंगे, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

उपखंड (ख) धारा 65क में नई उपधारा (3) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस धारा के उपबंध उस तारीख से लागू नहीं होंगे, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

उपखंड (ग) उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, नई धारा 65ख अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे निम्नलिखित पदों को परिभाषात किया जा सके—

अनुयोज्य दावा, विज्ञापन, कृषि, कृषि विस्तारण, कृषि उपज, कृषि उपज विपणन समिति या बोर्ड, वायुयान, विमानपत्तन, आमोद सुविधा, अपील अधिकरण, अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम, निर्धारिती, सहयोजित उद्यम, विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यौहारी, सट्टेबाजी या द्यूत, बोर्ड, कारबार अस्तित्व, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता, कूरियर अभिकरण, सीमाशुल्क केंद्र, घोषित सेवा, विद्युत पारेषण या वितरण उपयोगिता, मनोरंजक घटना, माल, माल परिवहन अभिकरण, भारत सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर, अंतरदेशीय जलमार्ग, ब्याज, स्थानीय प्राधिकारी, मीटर वाली कैब, धन, नकारात्मक सूची, अकराधेय राज्यक्षेत्र, अधिसूचना, व्यक्ति, पत्तन, विहित, माल के विनिर्माण या उत्पादन की कोटि में आने वाली प्रक्रिया, किराए पर देना, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रतिभूतियां, सेवा, विशेष आर्थिक जोन, मंजिली गाड़ी, राज्य विद्युत बोर्ड, राज्य पारेषण उपयोगिता, सहायक सेवाएं, कर, कराधेय सेवा, कराधेय राज्यक्षेत्र, जलयान, संकर्म संविदा ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

उपखंड (घ) धारा 66 में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस धारा के उपबंध उस तारीख से लागू नहीं होंगे, जो केंद्रीय सरकार , अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

उपखंड (ङ) धारा 66क में नई उपधारा (3) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस धारा के उपबंध उस तारीख से लागू नहीं होंगे जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

उपखंड (च) उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, धारा 66ख, धारा 66ग, धारा 66घ, धारा 66ङ और धारा 66च अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित धारा 66ख कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमत की गई नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट सेवाओं से भिन्न सेवाओं के मूल्य पर बारह प्रतिशत की दर पर सेवा कर उद्ग्रहण करने के लिए है ।

प्रस्तावित धारा 66ग केंद्रीय सरकार को विभिन्न सेवाओं की प्रकृति और वर्णन को ध्यान में रखते हुए सेवा के उपबंध का स्थान अवधारित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करती है ।

प्रस्तावित धारा 66घ निम्नलिखित सेवाओं की सूची को नकारात्मक सूची के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए है, :—

(क) निम्नलिखित सेवाओं को उस सीमा तक छोड़कर, जहां वे कहीं और नहीं आती हैं, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं :—

(i) डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा के रूप में सेवाएं और सरकार से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रदान की गई अभिकरण सेवाएं ;

(ii) किसी पत्तन या विमान पत्तन की परिसीमाओं के भीतर या बाहर किसी वायुयान या जलयान के संबंध में सेवाएं ;

(iii) माल या यात्रियों का परिवहन ; या

(iv) कारबार इकाइयों को प्रदान की गई ऊपर खंड (i) से खंड (iii) के अधीन आने वाली सेवाओं से भिन्न सहायक सेवाएं ;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सेवाएं ;

(ग) भारत में अवस्थित किसी विदेशी राजनयिक मिशन द्वारा सेवाएं ;

(घ) निम्नलिखित के रूप में कृषि से संबंधित सेवाएं :—

(i) खेती, फसल उगाई, जुताई, खलिहान, वनस्पति संरक्षण या बीज परीक्षण सहित किसी कृषि उपज से सीधे संबद्ध कृषि संक्रियाएं ;

(ii) फार्म श्रमिक का प्रदाय ;

(iii) किसी कृषि फार्म में की गई प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत देखभाल, छांटना, काटना, फसल काटना, सुखाना, सफाई करना, कतरना, धूप में सुखाना, धूमन, सहेजना, सोर्टिंग, श्रेणीकरण, प्रशीतन या पुंज पैंकिग और ऐसे ही सामान्य कार्य, जो कृषि उपज की अनिवार्य विशेषता को परिवर्तित नहीं करते हैं, किंतु उसे प्रमुख बाजार के लिए केवल विपणनीय बना देते हैं ;

(iv) कृषि मशीनरी या खाली भूमि को, उसके उपयोग के लिए संलग्न किसी संरचना के साथ या उसके बिना, किराए पर या पट्टे पर देना ;

(v) कृषि उत्पाद की लदाई, उतराई, पैक करना, भंडारण और भांडागारण ;

(vi) कृषि विस्तार सेवाएं ;

(vii) किसी कृषि उत्पाद विपणन समिति या बोर्ड द्वारा सेवाएं या कमीशन अभिकर्ता द्वारा कृषि उत्पाद के विक्रय या क्रय के लिए उपलब्ध कराई गई सेवाएं ;

(ङ) माल का लेन-देन ;

(च) कोई संक्रिया, जो माल के विनिर्माण या उत्पादन की कोटि में आती है ;

(छ) रेडियो या टेलीविजन द्वारा विज्ञापन प्रसारित करने से भिन्न विज्ञापन संबंधी स्थान या समय-स्लाट का विक्रय ;

(ज) किसी सड़क या पुल पर पथ-कर प्रभार के संदाय पर पहुंच के रूप में सेवा ;

(झ) दांव, द्यूत या लाटरी ;

(ञ) मनोरंजन संबंधी खेलों में प्रवेश या आमोद संबंधी सुविधाओं तक पहुंच ;

(ट) विद्युत पारेषण या वितरण उपयोक्ता द्वारा विद्युत का पारेषण या वितरण ;

(ठ) निम्नलिखित के रूप में सेवाएं—

(i) विद्यालय-पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक की या समतुल्य शिक्षा ;

(ii) शिक्षा, या विधि द्वारा मान्यताप्राप्त अर्हता अभिप्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के भागरूप हो ;

(iii) शिक्षा जो किसी अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षण पाठ्यक्रम के भागरूप हो ;

(ड) निवास के रूप में उपयोग के लिए कोई निवास-स्थान किराए पर देने के भागरूप सेवाएं ;

(ढ) निम्नलिखित के रूप में सेवाएं,—

(i) जहां तक प्रतिफल ब्याज या छूट के रूप में होता है, निक्षेप, उधार या अग्रिम देना ;

(ii) बैंकों और विदेशी विनिमय के प्राधिकृत व्यौहारियों के बीच या बैंकों और ऐसे व्यवहारियों के बीच विदेशी करेंसी का परस्पर क्रय या विक्रय ;

(ण) यात्रियों के, साथ ले जा रहे सामान के साथ या उसके बिना,—

(i) किसी मंजिली गाड़ी द्वारा ;

(ii) रेल द्वारा,—

(अ) प्रथम श्रेणी ; या

(आ) वातानुकूलित कोच,

से भिन्न किसी श्रेणी में ;

(iii) मेट्रो, मोनोरेल या ट्राम द्वारा ;

(iv) अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ;

(v) पन्द्रह टन से कम शुद्ध भार के किसी जलयान में मुख्यतया पर्यटन प्रयोजन से भिन्न सार्वजनिक परिवहन द्वारा ; और

(vi) मीटर वाली कैब, रेडियो-टैक्सी या आटो रिक्शा द्वारा,

अभिवहन की सेवा ।

(त) माल के अभिवहन के रूप में सेवाएं—

(i) (अ) माल अभिवहन अभिकरण ; या

(आ) कूरियर अभिकरण की सेवाओं,

के सिवाय सड़क द्वारा ;

(ii) भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में उतराई के प्रथम सीमा-शुल्क स्टेशन पर किसी वायुयान या जलयान द्वारा ;

(iii) अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ;

(थ) अंत्येष्टि, कब्रस्थान, शवदाहगृह या शवगृह सेवाएं, जिसके अंतर्गत मृतक का अभिवहन भी है ।

प्रस्तावित धारा 66ङ निम्नलिखित क्रियाकलापों को ऐसी घोषित सेवाओं के रूप में घोषणा करने के लिए है, जो वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के प्रयोजन के लिए सेवाओं का गठन करेंगी :—

(क) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना ;

(ख) किसी काम्प्लेक्स, भवन, सिविल संरचना या उसके किसी भाग का सन्निर्माण, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भवन भी है, जिसका पूर्णतया या भागतः क्रेता को विक्रय किया जाना आशयित है, सिवाय उस दशा के, जहां संपूर्ण प्रतिफल सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् या भवन सन्निर्माण पूरा होने के पश्चात्, जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्राप्त किया जाता है ;

(ग) किसी बौद्धिक संपदा अधिकार का अस्थायी अंतरण या उसका उपयोग या अधिभोग अनुज्ञात करना ;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के विकास, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अनुकूलन, उन्नयन, वृद्धिकरण, कार्यान्वयन ;

(ङ) किसी कार्य से विरत रहने की बाध्यता के या किसी कार्य या परिस्थितियों को सहन करने या किसी कार्य को करने या किसी कार्य को करने से प्रविरत रहने के प्रति सहमत होना ;

(च) किराए पर, पट्टे पर, अनुज्ञप्ति देकर या ऐसे माल के उपयोग को अधिकार का अंतरण किए बिना ऐसी किसी रीति में माल का अंतरण ;

(छ) अवक्रय पर या किस्तों द्वारा भुगतान की किसी पद्धति द्वारा माल के परिदान से संबंधित क्रियाकलाप ;

(ज) किसी संकर्म संविदा के निष्पदान में सेवा का प्रभाग ;

(झ) किसी ऐसे क्रियाकलाप में का सेवा प्रभाग, जिसमें माल का, जो खाद्य वस्तु या मानव उपभोग की कोई अन्य वस्तु या कोई पेय (चाहे मादक पेय हो या नहीं) हो, क्रियाकलाप के भागरूप किसी रीति में प्रदाय किया जाता है।

प्रस्तावित धारा 66च सेवाओं के विनिर्दिष्ट वर्णन या समूहबद्ध सेवाओं के निर्वचन के सिद्धांतों का उपबंध करने के लिए है ।

उपखंड (छ), धारा 67 का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसके स्पष्टीकरण के खंड (ख) का लोप किया जा सके ।

उपखंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) और (छ) द्वारा किए गए संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

उपखंड (ज), कर की दर, कराधेय सेवा के मूल्य और विनिमय की दर के अवधारण की तारीख का उपबंध करने की दृष्टि से नई धारा 67क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

उपखंड (झ) केंद्रीय सरकार को, उन सेवाओं और सेवा कर की उस सीमा को, जो संदेय होगा, अधिसूचित करने हेतु सशक्त बनाने के प्रयोजन के लिए, उपधारा (2) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने की दृष्टि से धारा 68 का संशोधन करने के लिए है ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

उपखंड (ञ), आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा की जाने वाली विशेष लेखापरीक्षा का उपबंध करने की दृष्टि से नई धारा 72क अंतःस्थापित करने के लिए है । विशेष लेखापरीक्षा का आदेश वहां किया जाएगा जहां सेवा कर निर्धारिती कराधेय सेवा का मूल्य घोषित करने या अवधारित करने में असफल रहा है या उसने सामान्य सीमा से परे या दुरभिसंधि या जानबूझकर किसी मिथ्या कथन के साधनों से शुल्क या कर प्रत्यय का लाभ उठाया है और उपयोग किया है या उसने बहुविध अवस्थानों में अपनी संक्रियाओं का प्रसार किया है । यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यथास्थिति, चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल, लेखापरीक्षा के पूरा होने पर आयुक्त को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसी लेखापरीक्षा का आदेश तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे लेखाओं की लेखापरीक्षा किए जाने के बावजूद भी किया जा सकेगा। रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाहियां आरंभ किए जाने से पूर्व इस प्रकार लेखापरीक्षा किए गए सेवा कर निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

उपखंड (ट), सूचना जारी करने की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर अठारह मास करने की दृष्टि से, धारा 73 का संशोधन करने के लिए है । यह उपबंध करने की दृष्टि से, उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है कि जहां सूचना या सूचनाओं की उपधारा (1) के अधीन तामील की जा चुकी है, वहां सेवा कर से प्रभार्य व्यक्ति पर, उद्गृहीत न किए गए या संदत्त न किए गए या कम उद्गृहीत या कम संदत्त या भूलवश प्रतिदत्त सेवा कर के ब्यौरों के विवरण की तामील, यदि जिन आधारों का अवलंब लिया गया है, वे समान हैं, को उस व्यक्ति पर सूचना की तामील समझी जाएगी ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

उपखंड (ठ), 6 मार्च, 2012 को यथाविद्यमान स्थावर संपत्ति को किराए पर देने संबंधी सेवा पर संदेय सेवा कर के संबंध में, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि सेवा कर और ब्याज, उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर पूर्णतः संदत्त कर दिया जाता है, शास्ति अधित्यजन का उपबंध करने की दृष्टि से धारा 80 का संशोधन करने के लिए है ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

उपखंड (ड), केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के कतिपय उपबंधों को सेवा कर के संबंध में लागू करने की दृष्टि से धारा 83 का संशोधन करने के लिए है ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

उपखंड (ढ), आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील फाइल करने के लिए परिसीमा काल, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो मास, जो एक मास तक विस्तारणीय होगी, करने का उपबंध करने हेतु धारा 85 का संशोधन करने के लिए है । इस उपखंड द्वारा विस्तारित परिसीमा की अवधि, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा उस तारीख को या उसके पश्चात्, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पारित सभी विनिश्चयों या आदेशों के लिए लागू होगा ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

उपखंड (ण), अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए परिसीमा काल, मुख्य आयुक्तों की समिति या आयुक्तों की समिति द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख से चार मास करने का उपबंध करने की दृष्टि से धारा 86 का संशोधन करने के लिए है । इस उपखंड द्वारा विस्तारित परिसीमा काल, उस तारीख के पश्चात्, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पारित सभी विनिश्चयों या आदेशों के लिए लागू होगी ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

उपखंड (त), धारा 88 का संशोधन करने के लिए है, जिससे 'शुल्क' शब्द के स्थान पर, 'कर' शब्द प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

उपखंड (थ), जानबूझकर किए गए सेवा कर के संदाय के अपवंचन को दंडनीय अपराध बनाने की दृष्टि से धारा 89 का संशोधन करने के लिए है ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

उपखंड (द), धारा 93क का संशोधन करने के लिए है, जिससे विनिर्माण, प्रसंस्करण या हटाए जाने के प्रक्रम के पश्चात्, माल के निर्यात के लिए प्रयुक्त कराधेय सेवाओं पर सेवा कर पर रिबेट के लिए उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

उपखंड (ध), वित्त अधिनियम, 1994 में एक नई धारा 93ख, इस बात का उपबंध करने की दृष्टि से अंतःस्थपित करने के लिए है कि धारा 94 के अधीन बनाए गए और कराधेय सेवाओं से भिन्न कराधेय सेवाओं को भी लागू होंगे जहां तक वे अंतःनिवेशों और अंतःनिवेश सेवाओं पर संदत्त किसी कर दायित्व, प्रतिदाय, सेवा कर या शुल्कों के क्रेडिट का अवधारण करने या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए सुसंगत हों ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

उपखंड (न), धारा 94 की उपधारा (2) के खंड (डड) का लोप करने, खंड (जजज) का संशोधन करने और नियम बनाने की शक्ति से संबंधित नया खंड (झ) और खंड (ञ) अंतःस्थापित करने हेतु संशोधन करने के लिए है ।

ये संशोधन उस तारीख से प्रभावी होंगे जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

उपखंड (प), उक्त अधिनियम की धारा 95 का संशोधन करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को, इस अध्याय में प्रस्तावित विधान द्वारा अंतःस्थापित किए गए कतिपय उपबंधों की दशा में कठिनाई को दूर करने के लिए वित्त विधेयक, 2012 के अधिनियमन की तारीख से दो वर्ष तक आदेश जारी करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

उपखंड (फ), धारा 96ग की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है जिससे उसके खंड (ड) को इस बारे में बनाए गए नियमों के निबंधनों के अनुसार शुल्क या कर के क्रेडिट की ग्राह्यता का उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

उपखंड (ब), धारा 97 और धारा 98 को, संबंधित धाराओं में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सड़कों और गैर वाणिज्यिक सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए, सेवा कर की छूट भूतलक्षी रूप से देने की दृष्टि से, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

ये संशोधन उस तारीख से प्रभावी होंगे जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 144** भारत सरकार की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 134 (अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 में अंतःस्थापित किए गए नियम 6 के उपनियम (6क) को, 10 फरवरी, 2006 से, आठवीं अनूसूची में विनिर्दिष्ट रीति में, भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए है ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 145** भारत सरकार की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 566 (अ), तारीख 25 जुलाई, 2011 को, 16 जून, 2005 से भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए है, जिससे सहकारी सोसाइटियों सहित किसी क्लब या संगम द्वारा प्रदान की गई क्लब या संगम सेवा को, उक्त अधिसूचना के अधीन, परियोजना के संबंध में सेवा कर छूट अनुज्ञात की जा सके । अधिसूचना ''परियोजना'' पद को, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से बहिःस्राव और ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए गठित समान सुविधा के अर्थ में स्पष्ट करता है ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध

अध्याय 6 (जिसमें खंड 146 से खंड 150 अन्तरर्विष्ट हैं) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 में संशोधन के लिए उपबंध करता है । खंड 146 पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जिससे ''वास्तविक राजस्व घाटे'' और ''पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों'' पदों को परिभाषित करने वाले नए खंड (कक) और खंड (खख) अंतःस्थापित किए जा सकें । खंड 147 राजवित्तीय नीति विवरणों के संसद् के समक्ष रखे जाने से संबंधित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है । उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण से संबंधित एक नया खंड (घ) अंतःस्थापित किया जा सके, जो उसमें विनिर्दिष्ट राजवित्तीय नीति विवरणों के अतिरिक्त राजवित्तीय नीति का विवरण भी है । यह पूर्वोक्त धारा में नई उपधारा (1क) और धारा (1ख) अंतःस्थापित करने के लिए भी है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ग) में निर्दिष्ट विवरणों के साथ अंतर्निहित धारणाओं के विस्तृत विश्लेषण वाला मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण होगा । प्रस्तावित नई उपधारा (1ख) यह उपबंध करती है कि केंद्रीय सरकार उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण को संसद् के उस सत्र के, जिसमें खंड (क) से खंड (ग) में निर्दिष्ट नीति संबंधी विवरणों को उपधारा (1) के अधीन रखा गया था, ठीक आगामी सत्र में संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी । यह खंड पूर्वोक्त धारा में नई उपधारा (6क) अंतःस्थापित करने के लिए भी है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि (क) मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण में अंतर्निहित धारणाओं और अंतवर्लित जोखिम के विनिर्देश वाले विहित व्यय संकेतों के लिए एक तीन वर्षीय चल लक्ष्य उपवर्णित होगा ; (ख) मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख नीति परिवर्तनों की, जिसमें नई सेवा, सेवा के नए साधन, नई स्कीमें और कार्यक्रम अंतर्वलित हैं, व्यय प्रतिबद्धता ; स्पष्ट समाश्रित दायित्व, जो बहुवर्षीय समय-सीमा के लिए अनुबंधित वार्षिकी संदायों के रूप में हैं ; और पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों का अलग-अलग विस्तृत ब्यौरा उपवर्णित होगा । यह खंड पूर्वोक्त धारा की उपधारा (7) का संशोधन करने के लिए भी है जिससे उक्त विवरण की बाबत प्ररूप विहित करने के प्रयोजन के लिए उक्त उपधारा में ''मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण'' सम्मिलित किया जा सके ।

खंड 148 राजवित्तीय प्रबंध सिद्धांतों से संबंधित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 का संशोधन करने के लिए है । पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि केंद्रीय सरकार राजवित्तीय घाटे और राजस्व घाटे को कम करने के लिए समुचित उपाय करेगी, जिससे 31 मार्च, 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त किया जा सके और उसके पश्चात् पर्याप्त राजस्व अधिशेष का निर्माण किया जा सके । उपधारा (2) अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि केंद्रीय सरकार उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान राजवित्तीय घाटे और राजस्व घाटे को कम करने के लिए वार्षिक लक्ष्य विनिर्दिष्ट करेगी । पूर्वोक्त उपधारा (1क) संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार, राजवित्तीय घाटे, राजस्व घाटे तथा वास्तविक राजस्व घाटे को कम करने के लिए ऐसे समुचित उपाय करेगी, जिससे 31 मार्च, 2015 तक वास्तविक राजस्व घाटे को समाप्त किया जा सके और तत्पश्चात् पर्याप्त वास्तविक राजस्व अधिशेष का निर्माण किया जा सके और उसके पश्चात् जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाए, राजस्व घाटे को 31 मार्च, 2015 तक और उसके पश्चात् सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत से अनधिक तक भी लाया जा सके । यह खंड पूर्वोक्त उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसमें ''वास्तविक राजस्व घाटे'' पद को सम्मिलित किया जा सके और विद्यमान समयावधि को 31 मार्च, 2009 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2015 तक किया जा सके ।

खंड 149 पूर्वोक्त अधिनियम में पुनर्विलोकन रिपोर्ट का संसद् के समक्ष रखे जाने से संबंधित नई धारा 7क अंतःस्थापित करने के लिए है । यह खंड यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन का, ऐसे आवधिक रूप से, जैसे अपेक्षित हों, पुनर्विलोकन करने के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को न्यस्त कर सकेगी और ऐसे पुनर्विलोकनों को संसद् के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा ।

खंड 150 नियम बनाने की शक्ति से संबंधित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है । यह कतिपय संशोधन करने का, जो पारिणामिक प्रकृति के हैं, प्रस्ताव करता है ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

प्रकीर्ण

विधेयक का **खंड 151** तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे कच्चे तेल पर उद्‌गृहीत उपकर की दर को बढ़ाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 152** वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें नौंवी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट कतिपय संशोधन किए जा सकें ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 153** वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 98 का जो प्रतिभूति संव्यवहार कर के प्रभार के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है। इसमें उक्त घाटा के नीचे दी गई सारणी का, जिसमें उन दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर प्रभारित किया जाएगा, संशोधन करना प्रस्तावित है। उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके क्रम संख्यांक 1 और 2 के सामने निर्दिष्ट प्रकृति की शेयरोन्मुख निधि के साधरण शेयरों या यूनिटों के कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों की बाबत प्रतिभूति संव्यवहार कर की दर को 0.125 प्रतिशत से कम करके 0.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 154** वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें दसवीं अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट कतिपय संशोधन किए जा सकें ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 155** वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 73 का, ''अंतःनिवेश समझे जाने वाले'' शब्दों के स्थान पर ''अंतःनिवेश और अंतःनिवेश सेवाएं समझे जाने वाले'' शब्द भूतलक्षी प्रभाव से 8 मई, 2010 से प्रतिस्थापित करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का **खंड 156** वित्त अधिनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए है जिससे एक ऐसे धारणा खंड का उपबंध किया जा सके कि वित्त अधिनियम, 2011 के प्रवृत्त होने की तारीख से, ''केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ'' शीर्ष के अधीन उसकी धारा 73 के खंड (ख) को ''उत्पाद-शुल्क'' शीर्ष के अधीन उसकी धारा 70क के रूप में अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा । यह उक्त वित्त अधिनियम की बारहवीं अनुसूची का संशोधन करने के लिए भी है जिससे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची में

''[धारा 73(ख) देखिए]

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की तीसरी अनुसूची में'' कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर

''[धारा 70क देखिए]

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची में,'' कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।